[2018] 12 एस. सी. आर 972

शांति भूषण

वी.

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

इसके पंजीकरण के माध्यम से और एक और

(2018 की लिखित याचिका (सी) No.789)

06 जुलाई, 2018

[ए. के. सिकरी और अशोक भूषण, जे. जे.]

भारत का संविधान-कला। 145 - मामलों के आवंटन के लिए रोस्टर तैयार करने में भारत के मुख्य न्यायाधीश का प्रशासनिक अधिकार

आयोजित का स्पष्टीकरणः प्रति ए. के. सीकरी, जे. : संविधान 'मुख्य न्यायाधीश' की भूमिका पर चुप है-हालाँकि, न्यायिक जवाबदेही और सुधार अभियान के मामले में संविधान पीठ

यह अभिनिर्धारित किया गया था कि केवल मुख्य न्यायाधीश के पास सर्वोच्च न्यायालय का प्रशासनिक नियंत्रण है और वह मास्टर ऑफ द रोस्टर हैं और केवल उनके पास ही न्यायालय की पीठों का गठन करने और इस प्रकार गठित पीठों को मामले आवंटित करने का विशेषाधिकार है-कानूनी स्थिति

उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों में निहित स्वस्थ प्रथाओं और ठोस परंपराओं पर आधारित है जो समय के साथ विकसित हुए हैं और जो सर्वोच्च न्यायालय के नियमों में निहित हैं-मुख्य न्यायाधीश के दो सबसे स्पष्ट कार्य हैं-न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में न्यायिक शक्ति का प्रयोग दूसरों के समान आधार पर करना, 'बराबर के बीच' होना और न्यायालय के प्रशासन की जिम्मेदारी लेना, जो उन्हें अंतिम अधिकार देता है।

न्यायिक कार्य भार के वितरण को निर्धारित करने के लिए प्राधिकरण -

अशोक भूषण के अनुसार, जे. (सहमत): कला का उप-अनुच्छेद (1)। 145 यह प्रावधान करता है कि संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन, सर्वोच्च न्यायालय समय-समय पर, राष्ट्रपति के अनुमोदन से, न्यायालय की प्रथा और प्रक्रिया को आम तौर पर विनियमित करने के लिए नियम बना सकता है, जिसमें उप-अनुच्छेद (1) में उल्लिखित विभिन्न विषय भी शामिल हैं-मामलों को आवंटित करने की मुख्य न्यायाधीश की शक्ति यू/Art.145 के तहत बनाए गए नियमों से प्रवाहित होती है-भारत का मुख्य न्यायाधीश न्यायालय के कार्य के सुविधाजनक वितरण के लिए रोस्टर तैयार करने और न्यायालय के कार्य-क्रम का गठन करने की अधिकारिता का प्रयोग करता रहा है।

समय-समय पर पीठ-इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्णयों में निर्धारित कानून से यह भी स्पष्ट है कि मुख्य न्यायाधीश द्वारा न्यायालय के कार्य का आवंटन न केवल प्रवाहित होता है

972 शांति भूषण बनाम। भारत का सर्वोच्च न्यायालय टीएचआर। यह पंजीकृत है और एक और

संवैधानिक प्रावधानों से लेकिन यह मुख्य न्यायाधीश का विशेषाधिकार है और जो बहुत से पालन की जाने वाली परंपरा है

प्रारंभ-उच्चतम न्यायालय नियम, 2013-अभ्यास और प्रक्रिया।

उच्चतम न्यायालय नियम, 2013-क्या उच्चतम न्यायालय के नियमों में 'मुख्य न्यायाधीश' शब्द को पहले पांच न्यायाधीशों के 'कॉलेजियम' के रूप में पढ़ा जाना है-आयोजित किया गयाः प्रति ए. के. सीकरी, जे. : यदि 'मुख्य न्यायाधीश' शब्द की व्याख्या 'कॉलेजियम' के रूप में की जाती है, तो उच्चतम न्यायालय का दिन-प्रतिदिन का कामकाज सुचारू रूप से चलाना मुश्किल होगा -

न्यायाधीशों की नियुक्ति के उद्देश्य से कॉलेजियम की बैठकों के विपरीत दैनिक आधार पर मुख्य न्यायाधीश द्वारा मामले सौंपे जाते हैं, जो कि बहुत कम होती है-इस प्रकार, किसी विशेष व्यक्ति को मामले सौंपने के उद्देश्य से कॉलेजियम की बैठक होती है।

दैनिक आधार पर पीठ अव्यवहारिक है-अशोक भूषण, जे. (सहमत): कला. 145 सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति के अनुमोदन और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों के साथ नियम बनाने का अधिकार देता है। कोर्ट यू/आर्ट। 145 विशेष रूप से अध्याय VI में मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश का उल्लेख किया गया है, जो प्रत्येक मामले, अपील या मामले की सुनवाई के लिए पीठ को नामित करने वाले हैं-इसके तहत बनाए गए किसी भी संवैधानिक प्रावधान या नियमों में कोई संकेत नहीं है कि मामलों का आवंटन और पीठों का गठन, मुख्य न्यायाधीश को कॉलेजियम-अभ्यास और प्रक्रिया के रूप में पढ़ा जाना चाहिए।

रिट याचिका का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः प्रति
ए. के. सीकरी, जे. :

1. 'मुख्य न्यायाधीश' अपनी व्यक्तिगत क्षमता में मास्टर ऑफ रोस्टर होता है और इसे पहले तीन या पांच के कॉलेजियम के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है।

न्यायाधीश। इस प्रकार, यह उनका विशेषाधिकार है कि वे पीठों का गठन करें और उन विषयों को आवंटित करें जिन पर पीठ द्वारा विचार किया जाएगा। संबंधित पीठ। [पैरा 20] [995-डी-ई]

2. संविधान मुख्य न्यायाधीश की भूमिका पर चुप है। संविधान या किसी अन्य कानून में भी इससे संबंधित कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है। पहले के निर्णयों में निहित कानूनी स्थिति स्वस्थ अभ्यास और ठोस परंपराओं पर आधारित है जो एक अवधि में विकसित किए गए हैं।

समय और वह उच्चतम न्यायालय के नियमों में अंकित है। वास्तव में, इसमें दो स्टीरियो-प्रकारों का प्रभुत्व है। एक, [2018] 12 एस. सी. आर. द्वारा स्थायी।

आम धारणा और सभी हितधारकों द्वारा व्यापक रूप से समर्थित और स्वीकार किया गया, यह है कि 'मुख्य न्यायाधीश' 'बराबर के बीच पहले' की भूमिका निभाते हैं। वाक्यांश 'बराबर के बीच' आम तौर पर इस तथ्य पर जोर देने के लिए डिज़ाइन किए गए न्यायिक कार्य से संबंधित है कि एक विशेष पीठ के सदस्यों की आवाज़, जिसमें 'मुख्य न्यायाधीश' शामिल हो सकते हैं, को समान महत्व दिया जाता है और मामलों को तय करने में, 'मुख्य न्यायाधीश' की राय का भी समान महत्व होता है और यह पीठ के अन्य सदस्यों की राय से अलग नहीं है। इस प्रकार, किसी दिए गए मामले में, एक संभावना है कि मुख्य न्यायाधीश का दृष्टिकोण '

यह एक अल्पमत दृष्टिकोण हो सकता है और उस स्थिति में, मामले का परिणाम वही होगा जो बहुमत तय करता है। उपरोक्त अभिव्यक्ति में 'प्रथम' शब्द केवल इस तथ्य को दर्शाता है कि 'मुख्य न्यायाधीश' न्यायालय का सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश है। [पैरा 21] [995-ई-एच; 996-ए]

3. दूसरा रूढ़िवादिता यह है कि मुख्य न्यायाधीश और न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होने के नाते, उन्हें न्यायालय में 'नेतृत्व' का प्रयोग करने का अधिकार है। इस भूमिका में, मुख्य न्यायाधीश से कार्यपालिका, सरकार और समुदाय के साथ अपने व्यवहार में न्यायपालिका के प्रवक्ता और प्रतिनिधि होने की उम्मीद की जाती है। इस उद्देश्य के लिए, 'मुख्य न्यायाधीश' की यह सुनिश्चित करने की सामान्य जिम्मेदारी है कि न्यायालय परिवर्तन को बढ़ावा दे और यथासंभव सुधार। न्यायिक सुधार, जो न्याय तक वास्तविक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक निरंतर प्रक्रिया है, 'मुख्य न्यायाधीश' की नैतिक जिम्मेदारी भी बन जाती है। न्याय के प्रशासन में इस तरह के सुधार न्यायिक पहलुओं (यानी मामलों का निर्णय कैसे किया जाना चाहिए, मामले का प्रबंधन और अदालत प्रबंधन, त्वरित निपटान आदि) तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि इसमें कानूनी प्रणाली के प्रशासनिक पक्ष में भी सुधार शामिल हैं। प्रक्रियात्मक सुधार और उनका कार्यान्वयन न्यायिक सुधार का एक अभिन्न अंग है। अंतिम उद्देश्य न्याय प्रदान करना है, जो सर्वोच्च और महानतम गुण है। पुनः, इस भूमिका में, 'मुख्य न्यायाधीश' को न्यायालय के प्रशासन के लिए अधिकार और जिम्मेदारी मिलती है, जो उन्हें न्यायिक कार्य भार के वितरण को निर्धारित करने के लिए अंतिम अधिकार देता है। [पैरा 22] [996-बी-ई]

4. संविधान के तहत, सर्वोच्च न्यायालय को आम तौर पर प्रथा को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार दिया गया है और

न्यायालय की प्रक्रिया, जिसमें विभिन्न विषय शामिल हैं, जैसा कि शांति भूषण बनाम।

भारत का सर्वोच्च न्यायालय टीएचआर। यह पंजीकृत है और एक और

अनुच्छेद 145 के उप-अनुच्छेद (1) में। उच्चतम न्यायालय नियम, 2013 जो इस तरह की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए हैं

मुख्य न्यायाधीश पीठों का गठन करेंगे और विशेष रूप से सूचीबद्ध करेंगे ऐसी पीठों के समक्ष मामले। समान शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं

अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा बनाए गए नियमों में उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश।

[पैरा 23] [997-ए-बी]

5. साथ ही, 'मुख्य न्यायाधीश' की शक्ति का विस्तार किसी विशेष पीठ के कामकाज को विनियमित करने के लिए नहीं है -

उस पीठ को मामले आवंटित होने के बाद उसे सौंपे गए मामलों का फैसला करें। कनिष्ठ न्यायाधीशों की एक पीठ मुख्य न्यायाधीश सहित अन्य लोगों के हस्तक्षेप के बिना अपने न्यायिक कार्य का प्रयोग करती है, क्योंकि यह कानून के अनुसार कार्य करती है। इसलिए, जब कोई विशेष मामला किसी विशेष पीठ को सौंपा जाता है, तो वह पीठ मामले पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लेती है।

[पैरा 24] [997-सी]

6. यह इस प्रकार है कि 'मुख्य न्यायाधीश' के दो सबसे स्पष्ट कार्य न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में न्यायिक शक्ति का प्रयोग करना है।

दूसरों के समान होना, 'बराबर के बीच' होना और न्यायालय के प्रशासन की जिम्मेदारी लेना। [पैरा 25] [997-डी]

न्यायिक जवाबदेही और सुधार के लिए अभियान v. भारत संघ और ए. एन. आर. (2018) 1 एस. सी. सी. 196-अनुसरण किया गया।

राजस्थान राज्य बनाम। प्रकाश चंद और अन्य। (1998) 1 एससीसी 1: [1997] 6 पूरक। एस. सी. आर. 1; अशोक पांडे बनाम भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपने पंजीयक और अन्य के माध्यम से।

[2018] 3 एस. सी. आर. 337-पर निर्भर।

सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन और अन्य बनाम। भारत संघ (1993) 4 एससीसी 441: [1993] 2 पूरक। एससीआर 659; एस. पी. गुप्ता बनाम भारत संघ और

एक और (1981) पूरक। एससीसी 87: [1982] एससीआर 365; रंजीत ठाकुर बनाम। भारत संघ और अन्य (1987) 4

एससीसी 611: [1988] 1 एससीआर 512; विशेष संदर्भ

1998 (1998) का नंबर 1 7 एस. सी. सी. 739: [1998] 2 पूरक।

एस. सी. आर. 400 संदर्भित है।

8] 12 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अशोक भूषण के अनुसार जे. (सहमत)

1. इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून, जैसा कि पूर्ववर्ती उदाहरणों से स्पष्ट है, यह है कि मुख्य न्यायाधीश द्वारा न्यायालय के कार्य का आवंटन न केवल संवैधानिक प्रावधानों से होता है, बल्कि इसे मुख्य न्यायाधीश का विशेषाधिकार माना जाता है और जिसका पालन शुरू से ही किया जाता रहा है। इसके अलावा, मामलों को आवंटित करने की मुख्य न्यायाधीश की शक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 145 के तहत बनाए गए नियमों से प्रवाहित होती है।

[पैरा 20] [1015-एफ]

2. उच्चतम न्यायालय की प्रक्रिया और व्यवहार के संबंध में, अनुच्छेद 145 उच्चतम न्यायालय को नियम बनाने का अधिकार देता है - राष्ट्रपति की मंजूरी। रोस्टर तैयार करने और मामलों के आवंटन से संबंधित अभ्यास और प्रक्रिया को शामिल करने के लिए न्यायालय का शब्द अभ्यास और प्रक्रिया काफी व्यापक है। विशेष रूप से अनुच्छेद 145 के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा बनाए गए नियम

यह संदर्भित करता है कि मुख्य न्यायाधीश को प्रत्येक मामले, अपील या मामले की सुनवाई के लिए पीठ को नामित करना है। इनमें से किसी में भी कोई संकेत नहीं है इसके तहत बनाए गए संवैधानिक प्रावधान या नियम जिनके लिए -

3. महान्यायवादी ने सही कहा कि मामलों का आवंटन और पीठों का गठन, यदि इसे कई हाथों में दिया जाता है, तो सुचारू रूप से मतभेद और बाधाएं होंगी। कार्य का वितरण। इस प्रकार, याचिकाकर्ता की इस दलील को स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि मामलों को आवंटित करने और सर्वोच्च न्यायालय की पीठों को तैयार करने में, "मुख्य न्यायाधीश" शब्द को कॉलेजियम के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, जो दलील निराधार है और खारिज कर दी गई है। [पैरा 28] [1022-ए-बी]

राजस्थान राज्य बनाम। प्रकाश चंद और अन्य। (1998) 1 एससीसी 1: [1997] 6 पूरक। एस. सी. आर. 1; इंदर मणि और अन्य बनाम। माथेश्वरी प्रसाद और अन्य (1996) 6 एस. सी. सी. 587: [1996] 7 पूरक। एस. सी. आर. 400; भारत संघ और एक अन्य v. एलआर द्वारा रघुबीर सिंह (मृत)।

(1989) 2 एस. सी. सी. 754 [1989] 3 एस. सी. आर. 316;

डी. सी. सक्सेना बनाम भारत के मुख्य न्यायाधीश (1996) 5 एस. सी. सी. 216: [1996] 3 पूरक। एस. सी. आर. 677; उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम।

नीरज चौबे एन. टी. आई. भूषण बनाम भारत का सर्वोच्च न्यायालय टीएचआर। रेजिस्ट्रार और एक और

और अन्य (2010) 10 एस. सी. सी. 320: [2010] 11 एससीआर 542; एस. पी. गुप्ता बनाम भारत संघ (1981) पूरक। एससीसी 87;

[1982] 2 एस. सी. आर. 365; सुप्रीम कोर्ट के वकील

रिकॉर्ड एसोसिएशन और अन्य बनाम। भारत संघ (1993)

4 एस. सी. सी. 441 [1993] 2 पूरक। एससीआर 659; विशेष

1998 (1998) का संदर्भ संख्या 1 7 एस. सी. सी. 739: [1998] 2

पूरक। एस. सी. आर. 400; न्यायिक जवाबदेही के लिए अभियान

और सुधार v. भारत संघ और ए. एन. आर. (2018) 1 एससीसी 196 ; अशोक पांडे बनाम। उच्चतम न्यायालय भारत अपने माध्यम से

पंजीयक और अन्य, (2018) 5 स्केल 481: [2018] 3

एस. सी. आर. 337-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

ए. के. सीकरी, जे.

[1993] 2 पूरक। एससीआर 659

संदर्भित किया गया है

पैरा 3

[1982] 2 एससीआर 365

संदर्भित किया गया है

पैरा 4

[1988] 1 एससीआर 512

पैरा 6

संदर्भित किया गया है

[1998] 2 पूरक। एससीआर 400

संदर्भित किया गया है

पैरा 8

[1997] 6 पूरक। एससीआर 1

उस पर भरोसा करें

पैरा 13

(2018) 1 एस. सी. सी 196

पीछा किया।

पैरा 14

जे.

अशोक भूषण का निर्णय,

[1997] 6 पूरक। एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पैरा 4

[1996] 7 पूरक। एससीआर 400

पैरा 15

संदर्भित किया गया है

[1989] 3 एससीआर 316

संदर्भित किया गया है

पैरा 17

[1996] 3 पूरक। एससीआर 677

संदर्भित किया गया है

पैरा 18

[2010] 11 एससीआर 542

पैरा 19

संदर्भित किया गया है

[1981] 2 एससीआर 87

संदर्भित किया गया है

पैरा 21

[1993] 2 पूरक। एससीआर 659

संदर्भित किया गया है

पैरा 21

[1998] 2 पूरक। एससीआर 400

संदर्भित किया गया है

पैरा 21

(2018) 1 एस. सी. सी 196

संदर्भित किया गया है

पैरा 33

[2018] 3 एससीआर 337

संदर्भित किया गया है

[2018] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

नागरिक मूल न्यायनिर्णयः लेखन याचिका (सिविल)

2018 का सं. 789।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत।

दुष्यंत दवे, वरिष्ठ अधिवक्ता। , प्रशांत भूषण, सुश्री चेरिल डिसूजा, सुश्री प्रियंका, अमीर नबी, ओमाना कुट्टन के., अधिवक्ता। के लिए याचिकाकर्ता।

के. के. वेणुगोपाल, एजी, तुषार मेहता, एएसजी, रोहित भट, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ए. के. सिकरी, जे. 1. प्रत्यर्थी संख्या 2 का नाम पक्षों की श्रृंखला से हटा दिया जाता है, क्योंकि सुनवाई के दौरान की गई प्रस्तुतियों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, जिस पर उचित स्थान पर ध्यान दिया जाएगा, प्रत्यर्थी संख्या 2 एक आवश्यक पक्ष नहीं है।

2. याचिकाकर्ता, जो इस न्यायालय में वकालत करने वाले एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और पेशे के साथ-साथ सार्वजनिक रूप से विश्वसनीय प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत यह रिट याचिका दायर की है। इस रिट याचिका में, उन्होंने इस न्यायालय से मास्टर ऑफ रोस्टर के रूप में भारत के मुख्य न्यायाधीश (संक्षेप में, 'मुख्य न्यायाधीश') के प्रशासनिक अधिकार को स्पष्ट करने और प्रक्रिया और सिद्धांतों को निर्धारित करने का अनुरोध किया है।

मामलों के आवंटन के लिए सूची तैयार करने में पालन किया जाना। 3. शुरुआत में यह उल्लेख किया जा सकता है कि याचिका कानूनी सिद्धांतों को स्वीकार करती है और स्वीकार करती है कि मुख्य न्यायाधीश "मुख्य न्यायाधीश" हैं।

रोस्टर "और सर्वोच्च न्यायालय की विभिन्न पीठों/न्यायाधीशों को मामले आवंटित करने का अधिकार रखता है। यह भी माना जाता है कि इसका पालन

सिद्धांत, अर्थात्, मुख्य न्यायाधीश मास्टर ऑफ रोस्टर है, अनिवार्य रूप से न्यायिक अनुशासन और शिष्टाचार बनाए रखने के लिए है। यह भी कहा गया है कि प्रमुख

न्याय समानों में प्रथम है, जिसका अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश समान न्यायिक शक्ति के साथ समान हैं, जिसमें मुख्य न्यायाधीश सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं। साथ ही, यह तर्क दिया जाता है कि इस शक्ति का उपयोग मुख्य न्यायाधीश द्वारा किसी भी उच्च अधिकार का दावा करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए और शक्ति का प्रयोग इस तरह से किया जाना चाहिए जो निष्पक्ष, न्यायसंगत और पारदर्शी हो। मास्टर ऑफ रोस्टर के रूप में, यह भी स्वीकार किया जाता है कि यह मुख्य न्यायाधीश है जिसे यह तय करना है कि कौन सी पीठ किसी विशेष मामले की सुनवाई करेगी। व्यक्त आशंका यह है कि विशेष न्यायाधीशों की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए, मुख्य न्यायाधीश उन न्यायाधीशों को मामले सौंप सकते हैं ताकि

पूर्व निर्धारित परिणाम। याचिकाकर्ता के अनुसार, इसके लिए शांति भूषण बनाम को तैयार करने की आवश्यकता है।

भारत का सर्वोच्च न्यायालय टीएचआर। यह पंजीकृत है और एक और [ए. के. सिकरी, जे.]

ऐसी किसी भी संभावना से बचने के लिए मामलों को सूचीबद्ध करने और फिर से आवंटित करने की अधिक तर्कसंगत और पारदर्शी प्रणाली। याचिकाकर्ता के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के प्रावधानों का सख्ती से पालन करते हुए मामलों को सूचीबद्ध करने की आवश्यकता है। न्यायालय नियम, 2013 (इसके बाद 'नियम' के रूप में संदर्भित)। ये नियम, निस्संदेह, मुख्य न्यायाधीश को कुछ मामलों को आवंटित करने का अधिकार देते हैं -

अपनी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करना। याचिकाकर्ता प्रस्तुत करता है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस तरह के विवेकाधिकार का निष्पक्ष तरीके से प्रयोग किया जाता है, 'मुख्य न्यायाधीश' अभिव्यक्ति की व्याख्या 'कॉलेजियम' के अर्थ में की जानी चाहिए।

उच्चतम न्यायालय के प्रथम पाँच न्यायाधीशों में से, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा उच्चतम न्यायालय अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन और अन्य में अभिनिर्धारित किया गया है। संघ का भारत 1 (प्रसिद्ध रूप से "द्वितीय न्यायाधीशों के मामले" के रूप में जाना जाता है)। उपरोक्त इमारत पर, याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित निर्देशों के लिए प्रार्थना की हैः

" (क) कि यह माननीय न्यायालय घोषणा की प्रकृति में एक घोषणा पत्र या एक रिट या किसी अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश को जारी करने के लिए प्रसन्न हो सकता है और यह घोषणा करता है कि मामलों को सूचीबद्ध करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के नियम, 2013 और व्यवहार और प्रक्रिया और कार्यालय पर पुस्तिका का सख्ती से पालन करना चाहिए।

प्रक्रिया, निम्नलिखित स्पष्टीकरण के अधीनः

i) 'भारत के मुख्य न्यायाधीश' शब्दों का अर्थ इस माननीय न्यायालय के 5 वरिष्ठ न्यायाधीशों का कॉलेजियम माना जाना चाहिए।

(ख) कि यह माननीय न्यायालय घोषणा या किसी अन्य प्रकार के रिट की घोषणा का रिट जारी करने के लिए प्रसन्न हो सकता है।

उचित रिट, आदेश या निर्देश धारण करना और यह घोषणा करना कि रजिस्ट्री अधिकारियों द्वारा सूचीबद्ध करने के उद्देश्यों के लिए परामर्श, यदि कोई हो भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के साथ इतनी संख्या में वरिष्ठ-अधिकांश न्यायाधीशों के साथ परामर्श शामिल होना चाहिए जो यह माननीय न्यायालय न्याय के हित में तय कर सकता है।

(ग) कि यह माननीय न्यायालय निषेध की प्रकृति में एक रिट या निषेध की प्रकृति में एक रिट या किसी अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश को जारी करने के लिए प्रसन्न हो सकता है जो भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश और संबंधित उत्तरदाताओं को किसी भी सूची में शामिल करने से प्रतिबंधित करता है। उच्चतम न्यायालय नियम, 2013 और अभ्यास और प्रक्रिया और कार्यालय प्रक्रिया पर पुस्तिका के विपरीत मामला या इसके विपरीत सूचीबद्ध करने के उद्देश्य से पीठों का चयन और चयन, 'भारत के मुख्य न्यायाधीश' के स्थान पर इस माननीय न्यायालय के 5 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के कॉलेजियम के उपरोक्त संशोधन के साथ।

(1993) 4 एस. सी. सी. 441 [2018] 12 एस. सी. आर.

(घ) कि यह माननीय न्यायालय स्पष्ट कर सके कि जब मामले हैं

तत्काल सुनवाई/सूचीकरण के लिए उल्लिखित, केवल सुनवाई की तारीख/समय तय किया जाएगा लेकिन मामले की सुनवाई करने वाली पीठ

नियमों के अनुसार निर्धारित किया गया।

(ङ) कि यह माननीय न्यायालय ऐसी अन्य और आगे की राहत प्रदान करने के लिए प्रसन्न हो सकता है जो तथ्यों में उचित समझी जाए और

मामले की परिस्थितियाँ और जो न्याय के हित में आवश्यक हो।

4. याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री दुष्यंत दवे ने कहा कि कुछ मामलों में, जिनके उदाहरण रिट याचिका में दिए गए हैं, जिस तरह से मामलों को कुछ पीठों को आवंटित किया जाता है, वह दर्शाता है कि या तो नियमों का सख्ती से पालन नहीं किया गया था या पारदर्शिता की कमी थी। हालांकि, उन्होंने शुरुआत में ही यह स्पष्ट कर दिया था कि याचिकाकर्ता उन मामलों या अन्य मामलों में दिए गए किसी भी न्यायिक आदेश और/या निर्णय की वैधता पर सवाल नहीं उठाना चाहता है। याचिका मामलों को सूचीबद्ध करने में मुख्य न्यायाधीश की शक्तियों के दायरे और दायरे तक सीमित है और यह घोषणा करने की मांग करती है कि शक्ति का प्रयोग कानूनी रूप से और वस्तुनिष्ठ विचार पर किया जाना चाहिए, जिससे किसी भी व्यक्तिपरक विचार से बचा जा सके। का पूरा जोर

उसी को प्राप्त करना। इस संबंध में उन्होंने निम्नलिखित प्रस्ताव रखेः (क) भारत का संविधान स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 145 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को आम तौर पर नियमों को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्तियां प्रदान करता है।

"राष्ट्रपति के अनुमोदन के साथ" न्यायालय का अभ्यास और प्रक्रिया। ऐसे नियमों में 'अपीलों की सुनवाई की प्रक्रिया और अपीलों से संबंधित अन्य मामलों के बारे में नियम शामिल हो सकते हैं, जिसमें वह समय भी शामिल है जिसके भीतर न्यायालयों में अपील की जानी है'। उप-इसके तहत अनुच्छेद (2) और (3) किसी भी उद्देश्य के लिए बैठने के लिए न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या निर्धारित करते हैं, जिसमें शामिल हैं -

संविधान की व्याख्या या अनुच्छेद 143 के तहत एक संदर्भ के रूप में कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न से जुड़े मामले का निर्णय लेने के लिए।

अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन करता है -

बशर्ते, भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा और जब तक संसद कानून द्वारा सात से अधिक अन्य न्यायाधीशों (मूल) की एक बड़ी संख्या निर्धारित नहीं करती है।

इस प्रकार, 'सर्वोच्च न्यायालय' अभिव्यक्ति में मुख्य न्यायाधीश और न्यायालय के अन्य न्यायाधीश शामिल हैं। अनुच्छेद के तहत नियम बनाने की शक्ति

145 इसलिए, पूरे न्यायालय को प्रदत्त किया जाता है, जिसमें सूची तैयार करने और मामलों की सीधी सुनवाई/सूची बनाने की शक्ति शामिल है।

शांति भूषण बनाम। भारत का सर्वोच्च न्यायालय टीएचआर। यह पंजीकृत है और एक और [ए. के. सिकरी, जे.]

(ख) इस प्रकार, हालांकि मुख्य न्यायाधीश मास्टर ऑफ द रोल हैं।

कन्वेंशन के तहत, संविधान सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान करने के लिए पारंपरिक योजना से अलग हो गया है।

(ग) एस. पी. गुप्ता बनाम में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ द्वारा 'मुख्य न्यायाधीश' अभिव्यक्ति की व्याख्या की गई है। भारत संघ और

अन्य 2 (जिसे "प्रथम न्यायाधीशों के मामले" के रूप में जाना जाता है) का अर्थ है "कॉलेजियम"। यह पूर्ण शक्ति के खिलाफ एक गार्ड सुनिश्चित करने के लिए किया गया था

केवल मुख्य न्यायाधीश को प्रदान किया गया। उक्त निर्णय में निम्नलिखित रूप में देखा गया थाः

" 31 ..... हम सभी अपनी पसंद-नापसंद, अपनी पूर्वधारणाओं और पूर्वाग्रहों के साथ इंसान हैं और हमारा मन ऐसा नहीं है।

व्यापक रूप से एक समय में एक प्रश्न के सभी पहलुओं को लेने में सक्षम होने के लिए और इसके अलावा कभी-कभी, जिस जानकारी पर हम अपने निर्णयों को आधारित करते हैं, वह गलत या अपर्याप्त हो सकती है और हमारा निर्णय भी कभी-कभी बाहरी या अप्रासंगिक विचारों से प्रभावित हो सकता है। यह भी देखा जा सकता है कि हमारे पूर्वाग्रह या पूर्वधारणा या झुकाव हमें क्या करने के लिए प्रेरित करते हैं, इसे सही ठहराने के लिए कारण खोजना मुश्किल नहीं है। यही कारण है कि हम सोचते हैं कि किसी भी महत्वपूर्ण या महत्वपूर्ण को सत्ता सौंपना मूर्खतापूर्ण है।

किसी एक व्यक्ति के लिए संवेदनशील क्षेत्र, चाहे वह कितना भी ऊँचा या महत्वपूर्ण हो, जिस पद पर वह है। प्रत्येक शक्ति के प्रयोग में नियंत्रण और नियंत्रण होना चाहिए, विशेष रूप से जब यह महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण नियुक्तियां करने की शक्ति है और इसका उपयोग कई हाथों से किया जाना चाहिए न कि किसी विशेष अधिकार में निहित होना चाहिए।

एकल व्यक्ति "।

इस सिद्धांत का बाद में इस न्यायालय द्वारा दूसरे और तीसरे न्यायाधीशों के मामले में पालन किया गया है।

मास्टर ऑफ द रोस्टर के रूप में। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि एक क़ानून में एक विशेष अभिव्यक्ति को समान और सुसंगत अर्थ प्राप्त होना चाहिए। (घ) 'सूची' और 'महत्वपूर्ण और संवेदनशील मामलों की सूची' के रूप में कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और इन्हें इन पर नहीं छोड़ा जा सकता है -

प्रथम न्यायाधीशों के मामले में निर्धारित कानून के अनुसार मुख्य न्यायाधीश का एकमात्र विवेकाधिकार। किसी भी मामले में, इस तरह के अनन्य विवेकाधिकार के लिए अभिशाप है

संवैधानिक योजना। इसलिए यह अनिवार्य है कि 'मुख्य न्यायाधीश' शब्द का अर्थ सर्वोच्च न्यायालय या इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित होना चाहिए।

2 (1981) सप.

निर्णयों की श्रृंखला में, पांच सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों का 'कॉलेजियम', किसी भी संभावित दुरुपयोग के खिलाफ उचित नियंत्रण और संतुलन प्रदान करने के लिए।

(ङ) संविधान के अनुच्छेद 145 के तहत बनाए गए नियम पंजीयक को आदेश III नियम 7 और 8 के तहत इससे निपटने की शक्तियां प्रदान करते हैं।

सूचियाँ तैयार करना और याचिकाओं की सुनवाई तय करना, जिसमें उपयुक्त सूचियाँ शामिल होंगी। इन नियमों के अनुसार मामलों को सख्ती से सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। 5. इसे स्पष्ट रूप से कहने के लिए, निवेदन यह है कि एक बार नियम बनाए जाने के बाद, मामलों को सूचीबद्ध किया जाना चाहिए और प्रावधानों के अनुसार सुनवाई के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए।

विशेष रूप से आदेश III नियम 7 और 8। इसके अलावा, किसी भी मामले में, 'मुख्य न्यायाधीश' अभिव्यक्ति को 'कॉलेजियम' के रूप में पढ़कर अर्थ निर्धारित करना होता है ताकि महत्वपूर्ण और संवेदनशील मामलों को उन्हें सौंपा जा सके। मुख्य न्यायाधीश सहित पाँच वरिष्ठतम न्यायाधीशों के कॉलेजियम द्वारा विशेष पीठ।

विशेष प्रकार के मामलों की सुनवाई के लिए पीठ आवंटित करने में मास्टर ऑफ रोस्टर के रूप में शक्ति का प्रयोग करते हुए, मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक क्षमता में अपना कार्य करता है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि पक्षपात के सिद्धांत की प्रयोज्यता का निर्णय किसी पक्ष के मन में पूर्वाग्रह की उचित आशंका की कसौटी को लागू करके किया जाना चाहिए, जैसा कि रणजीत ठाकुर बनाम के मामले में माना गया है। भारत संघ और अन्य 3. इस बात पर जोर दिया गया कि भारत के संविधान ने एक स्वतंत्र न्यायपालिका का निर्माण किया है जो प्रशासनिक कार्यों की वैधता निर्धारित करने के लिए न्यायिक समीक्षा की शक्ति के साथ निहित है और इस प्रकार, यह न्यायपालिका का गंभीर कर्तव्य बन जाता है कि वह राज्य के अंगों को राज्य द्वारा प्रदत्त शक्ति की सीमाओं के भीतर रखे।

न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करके संविधान जो है

वाइव पर प्रहरी। जब ऐसा महत्वपूर्ण कार्य न्यायपालिका को सौंपा जाता है, तो मामलों को सूचीबद्ध करने की शक्ति का प्रयोग मेले में किया जाना चाहिए और

पारदर्शी तरीके से ताकि बड़े पैमाने पर जनता में विश्वास पैदा किया जा सके कि इस मामले का निर्णय न्यायालय द्वारा (या उस मामले के लिए, एक विशेष पीठ द्वारा) सख्ती से कानूनी सिद्धांतों पर किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कानून का शासन, जो संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा है, प्रचलित है। इस संदर्भ में, यह तर्क दिया गया था कि मामलों को आवंटित करने की शक्ति एक व्यक्ति के पास नहीं होनी चाहिए और निर्धारित सिद्धांत को लागू करके इसका ध्यान रखा जा सकता है

दूसरे न्यायाधीशों के मामले में, जिसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली की नींव रखते हुए, यह अभिनिर्धारित किया गया थाः

3 (1987) 4 एससीसी 611 एन. टी. आई. भूषण बनाम।

भारत का सर्वोच्च न्यायालय टीएचआर। यह पंजीकृत है और एक और [ए. के. सिकरी, जे.]

" 427. इसलिए, यह यथार्थवादी है कि कानून के शासन के संचालन के भीतर विवेकाधीन प्राधिकरण के लिए जगह होनी चाहिए, भले ही इसे उचित शासन के लिए आवश्यक न्यूनतम सीमा तक कम किया जाना चाहिए; और विवेकाधीन प्राधिकरण के क्षेत्र के भीतर, उचित दिशानिर्देशों या सामान्य अनुप्रयोग के मानदंडों का अस्तित्व विवेकाधीन प्राधिकरण के किसी भी मनमाने अभ्यास को शामिल नहीं करता है। ऐसी स्थिति में, इसके विवेकाधीन अधिकार का प्रयोग उचित दिशानिर्देशों या मानदंडों के अनुसार व्यक्तियों के लिए आवेदन,

विवेकाधिकार के क्षेत्र को और कम कर देता है; लेकिन उस हद तक प्रणाली को व्यवहार्य बनाने के लिए विवेकाधीन अधिकार दिया जाना चाहिए। उस सीमित क्षेत्र में एक और जाँच प्रदान की जाती है

विवेकाधीन प्राधिकार किसी एक व्यक्ति को नहीं बल्कि व्यक्तियों के एक समूह को प्रदान करना, जिसमें सभी संभावित दृष्टिकोण का प्रक्षेपण सुनिश्चित करने और प्रक्रिया में शामिल सभी लोगों के सामूहिक ज्ञान के लाभ के साथ अंतिम निर्णय में बहुलता के तत्व को प्राप्त करने के लिए दोनों के बीच पूर्ण बातचीत और प्रभावी परामर्श के बाद अंतिम निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। इस विवेकाधीन अधिकार को उच्चतम स्तर पर प्रदान करना

कार्यकर्ता उसी दिशा में एक और जाँच है। संवैधानिक योजना में पूर्ण शक्ति का दायरा शामिल नहीं है। कोई भी व्यक्ति। इसलिए प्रावधानों का ऐसा निर्माण भी संवैधानिक योजना से मेल खाता है और

संवैधानिक उद्देश्य जिसके लिए ये प्रावधान अधिनियमित किए गए थे।

XX

XX

XX

450. यह स्पष्ट है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ और उच्च न्यायालयों के मामले में, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श करने का प्रावधान इस अहसास के कारण पेश किया गया था कि मुख्य न्यायाधीश उम्मीदवार के मूल्य को जानने और उसका आकलन करने के लिए सबसे अच्छी तरह से सुसज्जित है, और इसके लिए उसकी उपयुक्तता

वरिष्ठ न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति; और न्यायाधीश की प्रारंभिक नियुक्ति के स्तर पर भी राजनीतिक प्रभाव को समाप्त करना भी आवश्यक था, क्योंकि नियुक्ति के बाद उसकी स्वतंत्रता हासिल करने के प्रावधान अकेले एक उच्च न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं थे।

स्वतंत्र न्यायपालिका। साथ ही, उपयोग किए गए वाक्यांश ने संकेत दिया कि नियुक्तियों के मामले में एक व्यक्ति के रूप में भारत के मुख्य न्यायाधीश को पूर्ण विवेकाधिकार या वीटो की शक्ति देना वांछनीय नहीं माना जाता था, ताकि कार्यपालिका के पास कुछ शक्ति बनी रहे जिसका उपयोग एक चेक के रूप में किया जाए, [2018] 12 एस. सी. आर.

जब भी आवश्यकता हो। संकेत यह है कि नियुक्ति के लिए उपयुक्त उम्मीदवार के चयन में, भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय का सबसे अधिक महत्व होना चाहिए; चयन एक सहभागी परामर्श प्रक्रिया के परिणामस्वरूप किया जाना चाहिए जिसमें कार्यपालिका को केवल जांच के रूप में कार्य करने की शक्ति होनी चाहिए।

संवैधानिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शक्ति के प्रयोग पर। इस प्रकार, नियुक्ति प्रक्रिया में कार्यकारी तत्व को न्यूनतम कर दिया जाता है और किसी भी राजनीतिक प्रभाव को समाप्त कर दिया जाता है। यही कारण था कि 'सहमति' के बजाय 'परामर्श' शब्द का उपयोग किया गया था, लेकिन वह था

केवल यह इंगित करने के लिए किया गया था कि किसी को भी पूर्ण विवेकाधिकार नहीं दिया गया था, यहां तक कि एक व्यक्ति के रूप में भारत के मुख्य न्यायाधीश को भी नहीं,

कार्यपालिका के लिए बहुत कम, जिसके पास पहले भारत सरकार के अधिनियमों के तहत पूर्ण विवेकाधिकार था।

XX

XX

XX

466. यह ध्यान में रखना होगा कि सिद्धांत गैर-मनमानी, जो कानून के शासन की एक अनिवार्य विशेषता है, पूरे संविधान में व्यापक है और इस सिद्धांत का एक सहायक संवैधानिक गतिविधि के किसी भी क्षेत्र में एक व्यक्ति में पूर्ण शक्ति का अभाव है। मनमानेपन की घुसपैठ की संभावना को ध्यान में रखा जाना चाहिए और इससे बचना चाहिए।

भारत का न्याय 'जिसे नियुक्तियों के मामले में अधिक महत्व या प्रधानता दी जाती है। दूसरे शब्दों में, भारत के मुख्य न्यायाधीश के विचार को परामर्श प्रक्रिया में इस प्रकार व्यक्त किया जाना है - वास्तव में न्यायपालिका की राय को प्रतिबिंबित करता है, जिसका अर्थ है कि इसके गठन में अनिवार्य रूप से बहुलता का तत्व होना चाहिए। वास्तविक व्यवहार में, भारत के मुख्य न्यायाधीश इस तरह से कार्य करते हैं, और उनसे इस तरह कार्य करने की अपेक्षा की जाती है ताकि उनके द्वारा व्यक्त अंतिम राय केवल उनकी व्यक्तिगत राय न हो, बल्कि कुछ अन्य न्यायाधीशों के विचारों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई सामूहिक राय हो जो पारंपरिक रूप से इस कार्य से जुड़े हैं।

XX

XX

XX एन. टी. आई. भूषण बनाम भारत का सर्वोच्च न्यायालय टीएचआर। यह पंजीकृत है और एक और [ए. के. सिकरी, जे.]

468. कानून का शासन विवेकाधिकार के क्षेत्र को न्यूनतम होने की परिकल्पना करता है, जिसमें केवल ज्ञात सिद्धांतों के अनुप्रयोग की आवश्यकता होती है या

मनमानेपन को सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश, लेकिन उस सीमित सीमा तक, विवेक एक व्यावहारिक आवश्यकता है। उच्च स्तर पर विवेक का उल्लेख करना

कार्यकर्ता और, जब भी संभव हो, सामूहिक निर्णय की आवश्यकता के द्वारा बहुलता के तत्व को पेश करना, मनमानेपन के खिलाफ आगे की जाँच है। इस तरह से आदर्शवाद और व्यावहारिकता का सामंजस्य और एकीकरण किया जाता है, ताकि प्रणाली को संतोषजनक तरीके से काम करने योग्य बनाया जा सके। उच्च संवैधानिक अधिकारियों को वरिष्ठ न्यायाधीशों की नियुक्ति का कार्य सौंपना; भारत के मुख्य न्यायाधीश के दृष्टिकोण से जुड़ा सबसे बड़ा महत्व, जो उम्मीदवारों की उपयुक्तता का निर्णय करने के लिए उनके वास्तविक मूल्य का आकलन करने के लिए सबसे अच्छी तरह से सुसज्जित हैं; भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय अपने कुछ सहयोगियों के विचारों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई सामूहिक राय है; और कार्यपालिका को भारत के मुख्य न्यायाधीश को बताए गए मजबूत कारणों से अनुपयुक्त मानी जाने वाली नियुक्ति को रोकने की अनुमति दी गई है, संवैधानिक योजना में, न्यायपालिका या कार्यपालिका में से किसी को भी पूर्ण विवेक या वीटो प्रदान किए बिना संवैधानिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा तरीका प्रदान करता है।

व्यक्ति, चाहे वह भारत का मुख्य न्यायाधीश हो या प्रधानमंत्री।

XX

XX

XX

480. नियुक्तियों के मामले में न्यायपालिका की प्रधानता और स्थानांतरणों में इसकी निर्धारक प्रकृति प्रक्रिया में न्यायिक तत्व का परिचय देती है, और स्वयं उन निर्णयों की आगे न्यायिक समीक्षा की आवश्यकता के अभाव के लिए एक पर्याप्त औचित्य है, जो आमतौर पर संभावित कार्यकारी अधिकता या मनमानेपन के खिलाफ जांच के रूप में आवश्यक है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय के गठन में न्यायाधीशों की बहुलता, जैसा कि संकेत दिया गया है, किसी भी व्यक्ति की मनमानेपन या पूर्वाग्रह की संभावना के खिलाफ एक और अंतर्निहित जांच है, यहां तक कि अवचेतन रूप से भी। नियुक्तियों के मामले में न्यायिक तत्व प्रमुख और निर्णायक होना

स्थानान्तरण, जैसा कि संकेत दिया गया है, अन्य कार्यकारी कार्यों की तरह आगे की न्यायिक समीक्षा की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। विवेकाधिकार के क्षेत्र को न्यूनतम तक कम करना, न्यायाधीशों की बहुलता का तत्व भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय का गठन, लिखित में प्रभावी परामर्श, और विवेकाधिकार के क्षेत्र को विनियमित करने के लिए प्रचलित मानदंड मनमानेपन के खिलाफ पर्याप्त जांच हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

7. श्री डेव ने निम्नलिखित टिप्पणियों का भी उल्लेख किया

सी. ई. जे. एस. वर्मा (जैसा कि उनकी प्रभुता तब थी) उसी निर्णय में कहते हैंः

परंपरा पर आधारित पिछला अभ्यास एक सुरक्षित मार्गदर्शक है। मामलों में उच्चतम न्यायालय में नियुक्तियों के संबंध में, दी गई राय

परामर्श प्रक्रिया में भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा

दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों के विचारों को ध्यान में रखते हुए गठित किया गया

उच्चतम न्यायालय से। भारत के मुख्य न्यायाधीश के भी आने की उम्मीद है। सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के विचारों का पता लगाने के लिए

न्यायालय जिसकी राय निर्णय लेने में महत्वपूर्ण होने की संभावना है

उम्मीदवार की उपयुक्तता, इस तथ्य के कारण कि वह आया है

उसी उच्च न्यायालय से, या अन्यथा। अनुच्छेद 124 (2) एक है यह संकेत देता है कि कुछ अन्य न्यायाधीशों के विचारों का निर्धारण

उच्चतम न्यायालय की आवश्यकता है। अनुच्छेद का अंतर्निहित उद्देश्य

124 (2) भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इस तरह से प्राप्त किया जाता है

अनुच्छेद 124 (2) मौजूदा समझौते का आधार है जो भारत के मुख्य न्यायाधीश को कुछ न्यायाधीशों से परामर्श करने की आवश्यकता है

उच्चतम न्यायालय अपनी सिफारिश करने से पहले। यह सुनिश्चित करता है

कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय केवल उनकी नहीं है

व्यक्तिगत राय, लेकिन एक राय जो एक निकाय द्वारा सामूहिक रूप से बनाई गई है

न्यायपालिका में शीर्ष स्तर पर पुरुष "।

8. विद्वान वरिष्ठ वकील ने भी अनुच्छेद 44 पर भरोसा किया

1998 ए के विशेष संदर्भ संख्या 1 में (लोकप्रिय रूप से के रूप में जाना जाता है)

तीसरे न्यायाधीशों का मामला) जिसमें न्यायालय ने प्रश्नों का उत्तर दिया

निम्नलिखित रूप में स्पष्ट करते हुए संदर्भः

“ 44. संदर्भ द्वारा पोस्ट किए गए प्रश्नों का उत्तर अब दिया जाता है,

लेकिन हमें इस बात पर जोर देना चाहिए कि जवाबों को पढ़ा जाना चाहिए।

इस राय के मुख्य भाग के साथ संयोजनः

XX

XX

XX

दोनों के परामर्श से सिफारिश की जानी चाहिए। उच्चतम न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश।

3) 7 एस. सी. सी. 739 शांति भूषण बनाम। भारत का सर्वोच्च न्यायालय टीएचआर। यह पंजीकृत है और एक और [ए. के. सिकरी, जे.]

4. भारत के मुख्य न्यायाधीश को न्यायाधीश की गैर-नियुक्ति के लिए भारत सरकार द्वारा दी गई सामग्री और जानकारी के संबंध में, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के साथ परामर्श किए बिना, केवल अपनी व्यक्तिगत क्षमता में कार्य करने का अधिकार नहीं है।

नियुक्ति के लिए अनुशंसित "।

9. उपरोक्त लाइन को आगे बढ़ाते हुए, श्री डेव ने तर्क दिया कि

10. विद्वान महान्यायवादी श्री वेणुगोपाल ने याचिकाकर्ता की उपरोक्त दलीलों के जवाब में कहा कि याचिकाकर्ता ने वस्तुतः कानूनी स्थिति को इस प्रभाव से स्वीकार कर लिया है कि मुख्य न्यायाधीश हैं। 'मास्टर ऑफ रोस्टर' और उस क्षमता में उसे सर्वोच्च न्यायालय की विभिन्न पीठों/न्यायाधीशों को मामले आवंटित करने का भी अधिकार है। इसलिए, याचिकाकर्ता की शिकायत, अनिवार्य रूप से, उस तरीके के बारे में थी जिसमें ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जा रहा है। हालांकि,

विद्वान महान्यायवादी ने बताया कि उसी समय, याचिकाकर्ता ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि वह विशेष पीठों द्वारा दिए गए विशेष निर्णयों पर सवाल नहीं उठा रहा था, जिन्हें कुछ महत्वपूर्ण मामले सौंपे गए थे। उन्होंने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील के तर्क का सार यह था कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि मामले निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से सौंपे गए हैं, 'मुख्य न्यायाधीश' शब्द की व्याख्या 'मुख्य न्यायाधीश' सहित पांच सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों के 'कॉलेजियम' के रूप में की जानी चाहिए। विद्वान महान्यायवादी की प्रतिक्रिया यह थी कि हालांकि इस तरह की व्यवस्था, एक समाधान के रूप में, इस न्यायालय द्वारा तीन न्यायाधीशों के मामले (मामलों) के रूप में लोकप्रिय निर्णयों में पाई गई थी।

जब मास्टर ऑफ रोस्टर के रूप में 'मुख्य न्यायाधीश' द्वारा प्रशासनिक कर्तव्यों के निर्वहन की बात आती है, तो उच्च न्यायालय के साथ-साथ सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति का सुझाव पूरी तरह से अव्यावहारिक था। इस सुझाव का पुरजोर खंडन करते हुए उन्होंने तर्क दिया कि

व्याख्या न केवल अव्यावहारिक थी, बल्कि इसके परिणामस्वरूप एक अराजकता भी पैदा होगी यदि दिन-प्रतिदिन के प्रशासनिक कार्य, जिसमें गठन का कार्य भी शामिल है न्यायपीठों और न्यायपीठों को मामले आवंटित करने की अनुमति है [2018] 12 एस. सी. आर.

'कॉलेजियम' द्वारा। उनका निवेदन था कि न्यायपीठों का गठन करने और संबंधित न्यायपीठों को मामले आवंटित करने के ऐसे मामलों को न्यायपालिका में सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन 'मुख्य न्यायाधीश' में विश्वास और विश्वास व्यक्त करके, न्यायालय के सुचारू संचालन के लिए, अपनी व्यक्तिगत क्षमता में कार्य करते हुए 'मुख्य न्यायाधीश' के विवेकाधिकार पर छोड़ दिया जाना चाहिए।

11. हमने दोनों पक्षों के वकीलों द्वारा की गई दलीलों पर गंभीरता से विचार किया है। यह भी स्पष्ट किया जा सकता है कि शुरू करें कि इस मामले को प्रकृति में प्रतिकूल नहीं माना गया है। यह न्यायालय यह भी रिकॉर्ड पर रखना चाहेगा कि वह इस याचिका को दायर करने में याचिकाकर्ता जैसे व्यक्ति की ईमानदारी पर विवाद नहीं करता है, जिसे काफी सम्मान प्राप्त है। इस न्यायालय ने पूरे मामले पर विचार किया है

वस्तुनिष्ठ रूप से और जिम्मेदारी की बड़ी भावना के साथ। साथ ही, यह हमारा कर्तव्य भी बन जाता है कि हम संविधान और क़ानूनों में निहित कानूनी स्थिति और बाध्यकारी प्रभाव वाले इस न्यायालय के पूर्वजों में निहित कानूनी सिद्धांतों के अनुसार मामले का निर्णय लें।

मास्टर ऑफ रोस्टर के रूप में मुख्य न्याय की भूमिका 12. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि 'मुख्य न्यायाधीश' रोस्टर का संरक्षक है और उसके पास मामलों को आवंटित करने का अधिकार है।

उच्चतम न्यायालय की विभिन्न पीठों/न्यायाधीशों। याचिकाकर्ता इस कानूनी स्थिति को स्वीकार करने में स्पष्ट रहा है। उन्होंने स्वयं याचिका में इस हद तक कहा है कि यह सिद्धांत कि 'मुख्य न्यायाधीश' सूची का निर्माता है, न्यायिक अनुशासन और गरिमा बनाए रखने और न्यायालय के उचित और कुशल कामकाज के लिए भी आवश्यक है।

इस रियायत के बावजूद, इस न्यायालय के कुछ निर्णयों का उल्लेख करके, जो इस तरह के निर्णय के दायरे और दायरे को स्पष्ट करते हैं, इस कानूनी स्थिति को कम विस्तार के साथ समझाना अनिवार्य होगा।

शक्ति। 13. याचिकाकर्ता ने स्वयं याचिका में राजस्थान राज्य बनाम में तीन न्यायाधीशों की पीठ को संदर्भित किया है। प्रकाश चंद और Ors.5 गिरफ्तार

कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सूची का निर्माता है और उसके पास ही न्यायालय की पीठों का गठन करने और इस प्रकार गठित पीठों को मामले आवंटित करने का विशेषाधिकार है। न्यायालय ने इस प्रकार कहाः

5 (1998) 1 एस. सी. सी. 1 एन. टी. आई. भूषण बनाम

भारत का सर्वोच्च न्यायालय टीएचआर। यह पंजीकृत है और एक और [ए. के. सिकरी, जे.]

" 59. पूर्ववर्ती चर्चा से निम्नलिखित व्यापक निष्कर्ष निकलते हैं। बेशक, इसे हमारे निर्णय के सारांश के रूप में नहीं माना जाना चाहिए और निष्कर्षों को पढ़ा जाना चाहिए।

फैसले के पाठ के साथः

(1) कि उच्च न्यायालय का प्रशासनिक नियंत्रण केवल मुख्य न्यायाधीश में निहित है। हालाँकि, न्यायिक पक्ष में, वह केवल

बराबर के बीच पहले। (2) कि मुख्य न्यायाधीश रोस्टर का मास्टर है। वह अकेला है।

न्यायालय की पीठों का गठन करने का विशेषाधिकार है और इस प्रकार गठित पीठों को मामले आवंटित करें।

(3) कि कनिष्ठ न्यायाधीश केवल वही काम कर सकते हैं जो उन्हें आवंटित किया गया है

मुख्य न्यायाधीश द्वारा या उनके निर्देशों के तहत।

(4) कि जब तक मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया गया कोई भी निर्णय नहीं चलता है, तब तक कोई भी न्यायाधीश जिसे अकेले बैठना है, खंड पीठ में नहीं बैठ सकता है और न ही डिवीजन बेंच को स्वयं बेंच का गठन करने वाले न्यायाधीशों द्वारा विभाजित किया जा सकता है और ऐसी बेंच का गठन करने वाले एक या दोनों न्यायाधीश बैठ सकते हैं।

अकेले और किसी अन्य प्रकार का न्यायिक कार्य न करें अन्यथा प्रमुख द्वारा या उनके निर्देशों के तहत उन्हें सौंपा गया

न्याय।

(5) कि मुख्य न्यायाधीश नियम 55 (उपरोक्त) के तहत अपने समक्ष रखे गए आवेदन का संज्ञान ले सकते हैं और किसी मामले को उसके निपटारे के लिए बड़ी पीठ को भेज सकते हैं और वह इस अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकते हैं

यहाँ तक कि आंशिक सुनवाई वाले मामले के संबंध में भी। (6) कि कनिष्ठ न्यायाधीश उच्च न्यायालय में लंबित किसी भी मामले को "चुन और चुन" नहीं सकते हैं और उसे खुद को सौंप सकते हैं या

उचित आदेशों के बिना निपटान के लिए स्वयं

मुख्य न्यायाधीश। (7) कि कोई भी न्यायाधीश या न्यायाधीश रजिस्ट्री को उसके या उनके समक्ष किसी भी मामले को सूचीबद्ध करने के लिए निर्देश नहीं दे सकता है जो इसके विपरीत है

मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्देश "।

14. यही सिद्धांत प्रकाश चंद के मामले में मुख्य न्यायाधीश की शक्ति के रूप में और अभियान न्यायिक जवाबदेही और सुधार के मामले में भी लागू किया गया था। भारत संघ और Anr.6 एडज बेंच ने फैसला सुनाया किः

" 6. इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश समकक्षों में पहले हैं, लेकिन निश्चित रूप से, वे कुछ शर्तों का पालन करते हैं

प्रशासनिक शक्तियाँ और यही कारण है कि प्रकाश चंद [राज्य]

राजस्थान बनाम। प्रकाश चंद, (1998) 1 एस. सी. सी. 1], यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उच्च न्यायालय का प्रशासनिक नियंत्रण केवल मुख्य न्यायाधीश में निहित है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की शक्ति के संबंध में भी यही सिद्धांत लागू होना चाहिए। न्यायिक पक्ष में, वह समकक्षों में केवल पहला है। लेकिन, जहाँ तक सूची का संबंध है, जैसा कि कहा गया है तीन-प्रकाश चंद में न्यायाधीश पीठ [राजस्थान राज्य बनाम। प्रकाश चंद, (1998) 1 एस. सी. सी. 1], मुख्य न्यायाधीश मास्टर ऑफ द रोस्टर हैं और केवल उनके पास यह विशेषाधिकार है कि

न्यायालय की पीठों का गठन करें और इस प्रकार गठित पीठों को मामले आवंटित करें।

इसके अलावा, संविधान पीठ ने कहाः

" 7. यद्यपि उपरोक्त स्थिति उच्च न्यायालय के संबंध में बताई गई है, हम पूरी तरह से निश्चित हैं कि उक्त सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय पर लागू होता है। हम ऐसा सोचने के लिए तैयार हैं। जब तक ऐसी स्थिति स्पष्ट रूप से नहीं बताई जाती, तब तक पूरी तरह से भ्रम होगा। यह ध्यान दिया जाए कि यह इस न्यायालय की परंपरा भी रही है, और

कन्वेंशन कानून के कारण ऐसा रहा है। हमें बिना किसी हिचकिचाहट के यह स्पष्ट करना होगा कि सम्मेलन है

कानून के सिद्धांतों और न्यायिक अनुशासन और शिष्टाचार के कारण इसका पालन किया गया। एक बार जब मुख्य न्यायाधीश को मास्टर ऑफ द रोस्टर कहा जाता है, तो उसके पास ही पीठों का गठन करने का विशेषाधिकार होता है। कहने की जरूरत नहीं है कि न तो दो-न्यायाधीशों की पीठ और न ही तीन-न्यायाधीशों की पीठ मामले को अपने लिए आवंटित कर सकती है या पीठ के गठन के लिए निर्देश दे सकती है। विस्तार से, भारत के मुख्य न्यायाधीश को इस बारे में कोई निर्देश नहीं दिया जा सकता है कि पीठ में कौन बैठेगा या कौन इस मामले को उठाएगा क्योंकि यह पीठ की संरचना को छूता है। हम दोहराते हैं कि इस तरह का आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। यह कानून में मान्य नहीं है और इसकी अनुमति नहीं है।

8. एक संस्थान को कुछ मापदंडों के भीतर काम करना होता है और

यही कारण है कि पूर्ववर्ती, नियम और परंपराएं हैं। जहाँ तक पीठों की संरचना का संबंध है, हम स्वीकार करते हैं प्रकाश चंद [राजस्थान राज्य बनाम।

शांति भूषण बनाम। भारत का सर्वोच्च न्यायालय टीएचआर। यह पंजीकृत है और एक और [ए. के. सिकरी, जे.]

प्रकाश चंद, (1998) 1 एस. सी. सी. 1], जिसे उच्च न्यायालय के संदर्भ में कहा गया था, और स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह स्पष्ट रूप से सर्वोच्च न्यायालय पर लागू होगा और भारत के मुख्य न्यायाधीश को निर्देश देने वाला किसी भी प्रकार का आदेश या आदेश नहीं हो सकता है -

एक विशेष पीठ का गठन करें।

15. अशोक पांडे बनाम में इस न्यायालय के तीन अन्य न्यायाधीशों की पीठ के फैसले द्वारा इसी कानूनी स्थिति को दोहराया गया है। सर्वोच्च

भारत का न्यायालय अपने पंजीयक और Ors.7 के माध्यम से

सर्वोच्च न्यायालय के नियमों में 'मुख्य न्याय' को इस प्रकार पढ़ा जाना चाहिए

' प्रथम पाँच न्यायाधीशों का कॉलेजियम? 16. इस उपरोक्त पृष्ठभूमि में, हमें याचिकाकर्ता के मुख्य निवेदन पर विचार करना होगा। क्या अभिव्यक्ति 'मुख्य न्यायाधीश' है

उच्चतम न्यायालय के नियमों में पहले पाँच न्यायाधीशों के कॉलेजियम के रूप में पढ़ा जाना है? इसके परिणामस्वरूप, क्या पीठों का गठन करने और मामलों को सूचीबद्ध करने की शक्ति का प्रयोग कॉलेजियम द्वारा किया जाना चाहिए, न कि केवल मुख्य न्यायाधीश द्वारा? यही वह पूरी इमारत है जिस पर याचिकाकर्ता का मामला बनाया गया है। शुरुआत में, हम यह टिप्पणी कर सकते हैं कि अशोक पांडे इसमें शामिल हैं।

मुद्दा भी। वह निर्णय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिकाकर्ता द्वारा दायर एक रिट याचिका में दिया गया था जिसमें उन्होंने कई शिकायतें उठाई थीं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कुछ कार्यवाहियों से संबंधित उक्त रिट याचिका में उठाई गई कुछ व्यक्तिगत शिकायतों के अलावा, उन्होंने जो राहत मांगी थी, वह पीठों के गठन और सर्वोच्च न्यायालय की विभिन्न पीठों को अधिकार क्षेत्र के आवंटन के लिए प्रक्रिया का सेट विकसित करने के लिए प्रथम प्रतिवादी (भारत के सर्वोच्च न्यायालय) को अनिवार्य रिट जारी करने के लिए थी। इस संबंध में, वे चाहते थे कि नियमों में इस आशय का एक विशिष्ट नियम होना चाहिए कि मुख्य न्यायाधीश के न्यायालय में तीन न्यायाधीशों की पीठ में मुख्य न्यायाधीश और दो वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होने चाहिए और यह भी कि इस आशय के नियम बनाए जाएं कि संविधान पीठ में पांच सदस्य हों।

17. उक्त याचिकाकर्ता द्वारा दावा की गई उपरोक्त राहत को नकारते हुए, न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 145 के प्रावधानों पर ध्यान दिया। 7 2018 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 147 का निर्णय 11 अप्रैल, 2018 [2018] 12 एस. सी. आर.

संविधान जो उच्चतम न्यायालय को आम तौर पर न्यायालय की प्रथा और प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 145 के खंड (I) में विशेष रूप से उल्लिखित मामले शामिल हैं, जो नियम भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन से बनाए जाने हैं। न्यायालय ने नियमों के आदेश VI का भी उल्लेख किया। यह आदेश प्रभाग न्यायालयों के गठन और एक की शक्तियों से संबंधित है

एकल न्यायाधीश। इसके नियम 1 में प्रावधान है कि यह मुख्य न्यायाधीश है जो न्यायाधीशों को नामित करेगा जो किसी मामले, अपील या मामले की सुनवाई के लिए एक पीठ का गठन करेगा। जहां एक बड़ी पीठ को एक संदर्भ दिया जाता है, संदर्भ देने वाली पीठ को मामले को मुख्य न्यायाधीश को भेजने की आवश्यकता होती है जो पीठ का गठन करेंगे। नियम 1, इस प्रकार, प्रमुख को सशक्त बनाता है न्याय एक खंड पीठ के साथ-साथ एक बड़ी पीठ का गठन करेगा। ऐसे मामले में जहां एक पीठ द्वारा एक बड़ी पीठ को संदर्भित किया जाता है, फिर से, कौन से न्यायाधीश उक्त पीठ का गठन करेंगे, मुख्य न्यायाधीश के विवेक पर छोड़ दिया जाता है। यह कहीं भी नहीं कहता है कि संदर्भ देने वाली पीठ के सदस्य भी बड़ी पीठ के सदस्य होने चाहिए। इसी तरह, नियमों का आदेश XXXVIII प्रवर्तन के लिए आवेदनों से संबंधित है

18. उपरोक्त प्रावधानों को शामिल करने के बाद, न्यायालय ने राजस्थान राज्य बनाम के मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले को संदर्भित किया। प्रकाश चंद और अन्य के साथ-साथ संविधान पीठ का फैसला

न्यायिक जवाबदेही और सुधार अभियान के मामले में, जिसके संबंध में प्रासंगिक चर्चा पहले ही ऊपर स्पष्ट की जा चुकी है। उस आधार पर, उक्त रिट याचिकाकर्ता द्वारा दावा की गई राहत को 'स्पष्ट रूप से गलत धारणा' कहा गया था और इस संबंध में जो चर्चा हुई वह इस प्रकार है:

" 11. भारत के मुख्य न्यायाधीश के अधिकार की इस बाध्यकारी व्याख्या को देखते हुए, याचिकाकर्ता जो राहत चाहता है, वह स्पष्ट रूप से गलत धारणा है। एक बात के लिए, यह एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि कोई भी अधिदेश किसी ऐसे निकाय या प्राधिकरण को निर्देश देने के लिए जारी नहीं कर सकता है जिसके पास नियम बनाने या उन्हें एक विशेष तरीके से बनाने की शक्ति है। उच्चतम न्यायालय को प्रक्रिया के नियम बनाने के लिए अनुच्छेद 145 के तहत अधिकृत किया गया है। ए. माँगी गई प्रकृति के आदेश जारी नहीं किए जा सकते हैं। इसी तरह, याचिकाकर्ता को यह निर्देश देने का अधिकार नहीं है कि यह पीठ

8 (1998) 1 एस. सी. सी. 1 एन. टी. आई. भूषण बनाम

भारत का सर्वोच्च न्यायालय टीएचआर। यह पंजीकृत है और एक और [ए. के. सिकरी, जे.]

न्यायालय का गठन एक विशेष तरीके से किया जाना चाहिए या, जैसा कि वह चाहता है,

कि इस न्यायालय के अलग-अलग विभाग होने चाहिए। पूर्व विशेष रूप से मुख्य न्यायाधीश की विशेषाधिकार शक्तियों के क्षेत्र में निहित है। 12. इस तथ्य के अलावा कि मांगी गई राहत कानूनी और संवैधानिक सिद्धांत के विपरीत है, याचिकाकर्ता के दृष्टिकोण में एक मौलिक भ्रांति है, जिसे शांत किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता एक बाध्यकारी नियम की स्थापना की मांग करता है जिसके तहत मुख्य न्यायाधीश के न्यायालय में तीन न्यायाधीशों की पीठ में मुख्य न्यायाधीश और उनके दो वरिष्ठतम सहयोगी शामिल होने चाहिए।

जबकि संविधान पीठ में पांच वरिष्ठ सदस्य होने चाहिए-अधिकांश न्यायाधीश (या, जैसा कि वे सुझाव देते हैं, तीन 'वरिष्ठ-सर्वाधिक' और दो।

' कनिष्ठ-अधिकांश 'न्यायाधीश')। ऐसा कोई संवैधानिक आधार नहीं है जिसके आधार पर इस तरह के सुझाव को स्वीकार किया जा सके। एक बात के लिए, जैसा कि हमने पहले देखा है, यह पीठों का गठन करने और उन्हें मामले आवंटित करने के लिए मुख्य न्यायाधीश के अनन्य कर्तव्य और अधिकार में हस्तक्षेप करेगा। इसके अलावा, याचिकाकर्ता को यह गलत धारणा प्रतीत होती है कि कुछ श्रेणियों के मामले या

नियुक्ति के मामले में कुछ अदालतों में केवल वरिष्ठ शामिल होने चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इस न्यायालय में नियुक्त प्रत्येक न्यायाधीश को उन मामलों का न्यायनिर्णयन करने का समान कर्तव्य दिया जाता है जो न्यायालय में आते हैं और जिन्हें मुख्य न्यायाधीश द्वारा सौंपा जाता है। नियुक्ति के मामले में वरिष्ठता का इस बात से कोई लेना-देना नहीं है कि न्यायाधीश को किन मामलों की सुनवाई करनी चाहिए। यह एक तयशुदा है स्थिति यह है कि एक न्यायाधीश द्वारा दिया गया निर्णय अदालत के लिए बोलता है (सहमति या असहमति के मामले को छोड़कर)। संविधान अनुच्छेद 124 (3) में एक शर्त लगाता है -

उच्च न्यायालयों से, बार से और प्रतिष्ठित न्यायविदों में से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति।

न्यायालय को ऐसे मामलों की सुनवाई करने का अधिकार है और वास्तव में वह कर्तव्यबद्ध है जो मुख्य न्यायाधीश द्वारा सौंपे गए हैं। उच्च न्यायालयों से लिए गए न्यायाधीशों को लंबे वर्षों की सेवा के बाद इस न्यायालय में नियुक्त किया जाता है। बार के सदस्य जिन्हें इसी तरह इस न्यायालय में पदोन्नत किया गया है [2018] 12 एस. सी. आर. के दौरान एकत्रित व्यापक और विविध अनुभव रखने वाले।

बार में अभ्यास के वर्षों का पाठ्यक्रम। यह सुझाव देने के लिए कि कोई भी

न्यायाधीश विशेष मामलों का निर्णय लेने में अधिक सक्षम होंगे या

कुछ श्रेणियों के मामलों को केवल वरिष्ठों को सौंपा जाना चाहिए।

उच्चतम न्यायालय के अधिकांश न्यायाधीशों का कोई आधार नहीं है

सिद्धांत या पूर्ववर्ती में। अन्यथा पकड़ना एक कास्ट करना होगा

अन्य न्यायाधीशों की व्यवहार करने की क्षमता और क्षमता पर प्रतिबिंब मुख्य न्यायाधीश द्वारा सौंपे गए सभी मामलों के बावजूद

तथ्य यह है कि उन्होंने अनिवार्य योग्यताओं को पूरा किया है

कार्यालय में नियुक्ति के लिए संविधान "।

(जोर दिया गया)

19. उपरोक्त सादृश्य पर, न्यायालय ने भी प्रार्थना को खारिज कर दिया

उच्च न्यायालय में पीठों के गठन के संबंध में याचिकाकर्ता ने कहा

टीएस भी। इस संबंध में कुछ चर्चाएँ, जो हो सकती हैं -

हमारे उद्देश्यों के लिए भी चींटी नीचे पुनः प्रस्तुत की गई हैः

“ 14 ..... उच्च न्यायालय समय-समय पर निम्नलिखित कार्यों की सूची प्रकाशित करते हैं -

मुख्य न्यायाधीश का अधिकार। सूची इंगित करती है कि

न्यायपीठ, प्रभाग और एकल का गठन। सूची बनेगी प्रत्येक पीठ को सौंपे गए मामलों की विषय वस्तु को इंगित करें।

विभिन्न उच्च न्यायालयों की इस संबंध में अपनी परंपराएं हैं - जिस अवधि के लिए प्रकाशित सूची जारी रहेगी, जब तक कि एक नया

सूची अधिसूचित की जाती है। व्यक्तिगत न्यायाधीशों की अपनी ताकत होती है विशेषज्ञता की शर्तें। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने

प्रत्येक न्यायाधीश की विशेषज्ञता के क्षेत्र को ध्यान में रखना, जबकि

कार्य के आवंटन पर निर्णय लेना। हालांकि, विशेषज्ञता है

यह उन कई पहलुओं में से एक है जो मुख्य न्यायाधीश से संबंधित है। ए.

नव नियुक्त न्यायाधीश को विभिन्न कार्यों में घुमाया जा सकता है।

न्यायाधीश को विभिन्न शाखाओं में विशेषज्ञता प्राप्त करने में सक्षम बनाना

कानून। विशेषज्ञता की आवश्यकता के साथ, इसकी आवश्यकता है

न्यायाधीशों को विभिन्न क्षेत्रों की व्यापक समझ होनी चाहिए

पीठों की संख्या, मुख्य न्यायाधीशों को निर्धारित करनी होती है पीठ जो किसी विशेष विषय को सौंपे जाने की आवश्यकता है

काम और बकाया राशि के प्रवाह को ध्यान में रखते हुए। मुख्य न्यायाधीश

उच्च न्यायालय के पास इस तरह के कारकों को ध्यान में रखना होगा

किसी दिए गए क्षेत्र में मामलों की लंबितता, निपटान की आवश्यकता

सबसे पुराने मामले, आपराधिक मामलों को प्राथमिकता देते हुए जहां की स्वतंत्रता

विषय शामिल है और समग्र शक्ति, संख्या के संदर्भ में, शांति भूषण बनाम।

भारत का सर्वोच्च न्यायालय टीएचआर। यह पंजीकृत है और एक और [ए. के. सिकरी, जे.]

अदालत से। विभिन्न उच्च न्यायालयों ने प्राथमिकताएं निर्धारित की हैं -

कुछ श्रेणियों के मामले जैसे कि वरिष्ठ शामिल हैं

नागरिक, कैदी जो जेल में हैं और महिला वादी। सूची तैयार करते समय इन प्राथमिकताओं पर विचार किया जाता है। दिए गए कार्य के बाद से आसन्न सेवानिवृत्ति को ध्यान में रखना होगा।

किसी ऐसे न्यायाधीश को, जो सेवामुक्त होने वाला हो, पद रिक्त होने पर किसी अन्य पीठ को सौंपा जाना चाहिए। ये कुछ विचार हैं जिन्हें ध्यान में रखा जाता है। मुख्य न्यायाधीश न्यायालय के सुव्यवस्थित कामकाज और मामलों के त्वरित निपटान को सुनिश्चित करने की आवश्यकता से निर्देशित होते हैं। उच्च न्यायालयों की वेबसाइटों पर रोस्टर का प्रकाशन मुख्य न्यायाधीश के अधिकार के तहत न्यायिक कार्यों के वितरण के बारे में वादियों और वकीलों को नोटिस प्रदान करता है। इस न्यायालय का गठन 1950 में किया गया था। रोस्टर तैयार करने और न्यायिक कार्यों के वितरण में, उच्च न्यायालयों में अपनाए गए कुछ सम्मेलन भी प्रासंगिक हैं, जो संस्थागत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संशोधनों के अधीन हैं।

20. तीनों न्यायाधीशों की पीठ का उपरोक्त निर्णय एक बाध्यकारी मिसाल है। यह निर्णय, किसी भी अनिश्चित शब्दों में, यह मानता है कि 'प्रमुख

न्याय 'उसकी व्यक्तिगत क्षमता में मास्टर ऑफ रोस्टर है और इसे पहले तीन या पांच न्यायाधीशों के कॉलेजियम के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है। इस प्रकार, यह उनका विशेषाधिकार है कि वे पीठों का गठन करें और उन विषयों को आवंटित करें जिन पर संबंधित पीठों द्वारा विचार किया जाएगा।

21. संविधान 'मुख्य न्यायाधीश' की भूमिका पर चुप है। संविधान में भी इससे संबंधित कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है।

या किसी अन्य कानून में भी। उपरोक्त निर्णयों में निहित कानूनी स्थिति स्वस्थ अभ्यास और ठोस परंपराओं पर आधारित है जो एक अवधि के दौरान विकसित किए गए हैं और जो सर्वोच्च न्यायालय के नियमों में निहित हैं। वास्तव में, इसमें दो स्टीरियो-प्रकारों का प्रभुत्व है। एक, सामान्य विश्वास द्वारा कायम और व्यापक रूप से समर्थित और

सभी हितधारकों द्वारा यह स्वीकार किया जाता है कि 'मुख्य न्यायाधीश' 'बराबर के बीच पहले' की भूमिका निभाते हैं। वाक्यांश 'बराबर के बीच' आम तौर पर इस तथ्य पर जोर देने के लिए डिज़ाइन किए गए न्यायिक कार्य से संबंधित है कि एक विशेष पीठ के सदस्यों की आवाज़, जिसमें 'मुख्य' शामिल हो सकता है।

न्याय 'को समान महत्व दिया जाता है और मामलों को तय करने में मुख्य न्यायाधीश की राय का भी समान महत्व होता है और यह पीठ के अन्य सदस्यों की राय से अलग नहीं है। इस प्रकार, एक दिए गए मामले में, एक है

9 संविधान के अनुच्छेद 124 में केवल यह कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश और तीस अन्य न्यायाधीश होंगे।

8] 12 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संभावना है कि 'मुख्य न्यायाधीश' का दृष्टिकोण एक अल्पमत का दृष्टिकोण हो सकता है और उस स्थिति में, मामले का परिणाम वही होगा जो बहुमत तय करता है। उपरोक्त अभिव्यक्ति में 'प्रथम' शब्द का अर्थ केवल

तथ्य यह है कि 'मुख्य न्यायाधीश' न्यायालय का सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होता है।

22. दूसरा रूढ़िवादिता यह है कि 'मुख्य न्यायाधीश' होना और

न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश, उन्हें न्यायालय में 'नेतृत्व' का प्रयोग करने का अधिकार है। इस भूमिका में, 'मुख्य न्यायाधीश' से न्यायपालिका के प्रवक्ता और प्रतिनिधि होने की उम्मीद की जाती है।

प्रमुख

कार्यपालिका, सरकार और समुदाय। इस उद्देश्य के लिए,

न्याय की यह सुनिश्चित करने की सामान्य जिम्मेदारी है कि न्यायालय परिवर्तन और सुधार को यथासंभव बढ़ावा दे। न्यायिक सुधार, जो न्याय तक वास्तविक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक निरंतर प्रक्रिया है, मुख्य न्यायाधीश की नैतिक जिम्मेदारी भी बन जाती है। इस तरह

न्याय के प्रशासन में सुधार न्यायिक पहलुओं (यानी मामलों का निर्णय कैसे किया जाना चाहिए, मामले का प्रबंधन और अदालत प्रबंधन, त्वरित निपटान आदि) तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि इसमें न्यायिक पहलुओं पर सुधार भी शामिल हैं।

कानूनी प्रणाली का प्रशासनिक पक्ष भी। प्रक्रियात्मक सुधार और उनका कार्यान्वयन न्यायिक सुधार का एक अभिन्न अंग है। अंतिम उद्देश्य न्याय प्रदान करना है, जो सर्वोच्च और महानतम गुण है। पुनः, इस भूमिका में, 'मुख्य न्यायाधीश' को न्यायालय के प्रशासन के लिए अधिकार और जिम्मेदारी मिलती है, जो उन्हें न्यायिक कार्य भार के वितरण को निर्धारित करने के लिए अंतिम अधिकार देता है। भारतीय संदर्भ में, इस शक्ति को भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 214 (3) द्वारा वैधानिक मान्यता दी गई थी जो इस प्रकार हैः

अपीलीय अधिकारिता के विस्तार के लिए इस अध्याय में उल्लेख किया गया है न्यायालय के, नियम एक विशेष के गठन के लिए प्रदान करेंगे

सभी मामलों को तय करने के उद्देश्य से न्यायालय का विभाजन जो न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में होता, भले ही उसका

अधिकार क्षेत्र का इतना विस्तार नहीं किया गया था।

(3) न्यायालय के किसी भी नियम के प्रावधानों के अधीन, प्रमुख

भारत का न्याय यह निर्धारित करेगा कि कौन से न्यायाधीश किसी का गठन करेंगे। न्यायालय का विभाजन और किसी भी उद्देश्य के लिए किन न्यायाधीशों को बैठना है। शांति भूषण बनाम।

भारत का सर्वोच्च न्यायालय टीएचआर। यह पंजीकृत है और एक और [ए. के. सिकरी, जे.]

23. संविधान के तहत, सर्वोच्च न्यायालय को आम तौर पर प्रथा और प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार दिया गया है।

न्यायालय, जिसमें अनुच्छेद 145 के उप-अनुच्छेद (1) में उल्लिखित विभिन्न विषय शामिल हैं। उच्चतम न्यायालय नियम, 2013 जो इस प्रकार बनाए गए हैं -

इस तरह की शक्ति के प्रयोग ने मुख्य न्यायाधीश को पीठों का गठन करने और ऐसी पीठों के समक्ष विशेष मामलों को सूचीबद्ध करने का अधिकार दिया। अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा बनाए गए नियमों में उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश को इसी तरह की शक्तियां प्रदान की गई हैं।

24. साथ ही, 'मुख्य न्यायाधीश' की शक्ति मामलों का निर्णय करने के लिए किसी विशेष पीठ के कामकाज को विनियमित करने के लिए नहीं है।

एक बार जब मामले उस पीठ को आवंटित किए जाते हैं तो उसे सौंपा जाता है। कनिष्ठ न्यायाधीशों की एक पीठ अपने न्यायिक कार्य का निर्वहन बिना किसी कार्य के करती है। 'मुख्य न्यायाधीश' सहित अन्य लोगों का हस्तक्षेप, जैसा कि माना जाता है

महान्यायवादी ने कहा कि पीठों के गठन और उन पीठों को विशिष्ट मामलों के आवंटन का कार्य मुख्य न्यायाधीश द्वारा अधिक सुचारू रूप से किया जा सकता है और कॉलेजियम द्वारा इस तरह के कार्य का निर्वहन अव्यवहारिक होगा और इससे कई व्यावहारिक कठिनाइयाँ भी पैदा होंगी। 27. जैसा कि पहले ही ऊपर ध्यान दिया जा चुका है, इस तर्क का आधार द्वितीय न्यायाधीशों के मामले में इस न्यायालय का निर्णय है जिसने [2018] 12 एस. सी. आर. निर्धारित किया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली की नींव। उक्त निर्णय के प्रासंगिक अंश, जिन पर याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा भरोसा किया गया है, पहले ही ऊपर निकाले जा चुके हैं। न्यायालय ने स्वीकार किया कि कानून के शासन के संचालन के भीतर विवेकाधीन प्राधिकरण के लिए जगह होनी चाहिए। साथ ही, इस बात पर जोर दिया गया कि इस तरह के विवेकाधिकार को उचित शासन के लिए आवश्यक न्यूनतम सीमा तक कम किया जाना चाहिए, जिसे प्राप्त किया जा सकता है सामान्य अनुप्रयोग के उचित दिशानिर्देशों या मानदंडों का अस्तित्व। इस आधार पर, न्यायालय ने यह उचित समझा कि विवेकाधीन प्राधिकरण का प्रदान एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि पुरुषों के एक समूह के लिए होना चाहिए और इस प्रकार, कॉलेजियम की प्रणाली विकसित हुई जिसके तहत मुख्य न्यायाधीश को अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों के साथ पूर्ण बातचीत और प्रभावी परामर्श का लाभ मिलेगा, ताकि सभी संभावित बिंदुओं का प्रक्षेपण सुनिश्चित किया जा सके और अंतिम निर्णय में बहुलता के तत्व को प्राप्त किया जा सके।

प्रक्रिया में शामिल सभी लोग। हालांकि, इस बात पर जोर देने की आवश्यकता है कि उपरोक्त संकल्प और कॉलेजियम की अवधारणा को संवैधानिक न्यायालयों, यानी सर्वोच्च न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में न्यायिक व्याख्या द्वारा नया रूप दिया गया था। यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि जहां तक कार्यपालिका का संबंध है, ऐसी नियुक्तियों में उसकी वस्तुतः कोई भूमिका नहीं होगी, सिवाय निर्णय में विशेष रूप से चित्रित न्यूनतम भूमिका के। न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए तैयार की गई इस तरह की प्रणाली को मास्टर ऑफ रोस्टर के रूप में मुख्य न्यायाधीश की भूमिका के मामले में दोहराया नहीं जा सकता है। हमें यह ध्यान रखना होगा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख के रूप में मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को कई अन्य कार्य करने होते हैं

प्रशासनिक पक्ष में, मुख्य न्यायाधीशों के रूप में अपनी क्षमताओं में कार्य करते हैं। सूची तैयार करना और पीठों का गठन करना उनमें से एक है। यदि 'मुख्य न्यायाधीश' शब्द की व्याख्या 'कॉलेजियम' के रूप में की जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट का दिन-प्रतिदिन का कामकाज सुचारू रूप से चलाना मुश्किल होगा।

न्यायालय, या उस मामले के लिए उच्च न्यायालय। हम अशोक पांडे के फैसले से चर्चा के उस हिस्से को पहले ही पुनः प्रस्तुत कर चुके हैं जिसमें विभिन्न कारकों पर ध्यान दिया गया है जिन्हें सूची तैयार करने और पीठों के गठन का संकेत देने के लिए ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसके अलावा, जब मामलों को किसी विशेष पीठ को सौंपने की बात आती है, तो यह होना चाहिए

न्यायाधीशों की नियुक्ति के उद्देश्य से कॉलेजियम की बैठकों के विपरीत मुख्य न्यायाधीश द्वारा दैनिक आधार पर कार्य किया जाता है, जो कि बहुत कम होता है। इस प्रकार, दैनिक आधार पर किसी विशेष पीठ को मामले सौंपने के उद्देश्य से कॉलेजियम की बैठक स्पष्ट रूप से अव्यवहारिक है।

29. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का तर्क कि 'सूची तैयार करना' और 'महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण मामलों को सूचीबद्ध करना' बेहद महत्वपूर्ण है और इसे मुख्य न्यायाधीश के एकमात्र कथन पर नहीं छोड़ा जा सकता है, अशोक पांडे में भी मिलता है।इराः " 15. इस दलील के आधार पर कि पीठों का गठन और मुख्य न्यायाधीश द्वारा मामलों के आवंटन को एक प्रक्रिया द्वारा विनियमित किया जाना चाहिए, यह आशंका है कि ऐसी प्रक्रिया के अभाव में शक्ति का उपयोग मनमाने ढंग से किया जाएगा। एक न्यायाधीश के रूप में, मुख्य न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश होते हैं। बराबर के बीच पहला। अपने अन्य कार्यों के निर्वहन में, मुख्य न्यायाधीश

भारत का एक ऐसा स्थान है जो सुई जेनरिस है। अनुच्छेद 124 (1) में कहा गया है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक प्रमुख से मिलकर बनेगा।

भारत के न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश। अनुच्छेद 146 संस्थान के प्रमुख के रूप में भारत के मुख्य न्यायाधीश की स्थिति की पुष्टि करता है। संस्थागत दृष्टिकोण से मुख्य न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय के शीर्ष पर रखा जाता है। मामलों के आवंटन और पीठों के गठन में मुख्य न्यायाधीश के पास एक विशेष अधिकार होता है। विशेषाधिकार। संवैधानिक न्यास के भंडार के रूप में, मुख्य न्यायाधीश अपने आप में एक संस्था है। यह याद रखना चाहिए कि जो अधिकार मुख्य न्यायाधीश को दिया जाता है, वह एक उच्च संवैधानिक पदाधिकारी में निहित होता है। प्राधिकरण मुख्य न्यायाधीश को सौंपा गया है क्योंकि इस तरह के कार्यों को सौंपा गया है

प्रशासनिक के कुशल लेन-देन के लिए आवश्यक और

न्यायालय का न्यायिक कार्य। मुख्य न्यायाधीश को अधिकार सौंपने के पीछे अंतिम उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सर्वोच्च न्यायालय उन संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने और उनका निर्वहन करने में सक्षम हो जो इसके लिए शासन और तर्क प्रदान करते हैं। अस्तित्व। संस्थान के प्रमुख के रूप में मुख्य न्यायाधीश को कार्य सौंपने का उद्देश्य संस्थान को सुरक्षित करना है।

के लिए एक स्वतंत्र सुरक्षा के रूप में सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति

व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। ऐसा नहीं हो सकता

अविश्वास की धारणा। पद की शपथ कुछ भी कम नहीं मांगती है। "[2018] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

30. इस पूरी योजना में, यह रेखांकित करने की आवश्यकता है कि न्यायपालिका को संविधान के तहत एक महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी गई है। एक संविधान पीठ में

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार बनाम के मामले में केवल एक दिन पहले दिया गया निर्णय। भारत संघ और एक अन्य, संविधान के अंतिम मध्यस्थ और कानून के शासन के समर्थक के रूप में न्यायालय की भूमिका को दर्शाया गया है

निम्नलिखित शब्दों में:

" 4. इस न्यायालय को, संविधान का अंतिम मध्यस्थ होने के नाते, ऐसी स्थिति में, संवैधानिक व्यावहारिकता जैसे नए साधनों को ध्यान में रखते हुए व्याख्या की प्रक्रिया में प्रवेश करना होगा

वस्तुनिष्ठता की पवित्रता के लिए, पवित्रता के बारे में सभी को लगातार याद दिलाकर सही मायने में उद्देश्य की प्राप्ति। हमारे संविधान द्वारा परिकल्पित लोकतांत्रिक संरचना का,

संवैधानिक विश्वास और नैतिकता के उपदेशों का उन्नयन, और शक्ति के विकेंद्रीकरण का गंभीर विचार और, हमें कहना होगा,

विचार आमंत्रित किए जाने के लिए दरवाजे पर दस्तक देते हैं। द कंपल्सिव

आमंत्रण लोकतंत्र के मूल्यों को बनाए रखने का आदेश है

कानून का निर्धारित ढांचा। उद्देश्य यह देखना है कि अंततः, कानून का शासन प्रबल होता है और व्याख्यात्मक प्रक्रिया उक्त विचार को उसके योग्य स्थान की अनुमति देती है, क्योंकि जब कानून के शासन को लोकतंत्र के क्षेत्र में अपना उचित दर्जा प्रदान किया जाता है, तो यह

यह महत्वपूर्ण विश्वसनीयता मानता है। 5. हम इस तरह की समझ को एक तरीका कहना चाहेंगे।

" संविधान के विचार और भावना का संगम ", क्योंकि यह संविधान पर स्थापित संवैधानिक संरचना के पीछे के भव्य विचार का जश्न मनाता है।

लोकतंत्र के मूल्यवान मूल्य "।

31 इस प्रकार, संविधान निर्माताओं ने संविधान में बहुत विश्वास व्यक्त किया

न्यायपालिका को न केवल सरकार/कार्यपालिका के प्रशासनिक कृत्यों बल्कि विधानमंडल के विधायी कृत्यों की भी न्यायिक समीक्षा की शक्तियां सौंपी गई हैं। इस प्रक्रिया में, न्यायपालिका सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक का निर्वहन करती है, अर्थात् न्याय का प्रशासन। यह कानून के शासन को बनाए रखते हुए ऐसा करता है और इस प्रक्रिया में,

संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करना। हमारा संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, निष्पक्ष सुनवाई, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत गोपनीयता, कानून के तहत समान व्यवहार, मानवीय गरिमा और उदार लोकतांत्रिक मूल्यों की गारंटी देता है। गैर-परक्राम्य अधिकारों और स्वतंत्रताओं के इस समूह की न्यायपालिका द्वारा रक्षा की जानी चाहिए। इस कारण से न्यायपालिका की स्वतंत्रता है 12017 की सिविल अपील संख्या 2357 में दिनांक 4 जुलाई, 2018 का निर्णय जिसका शीर्षक दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार बनाम। भारत संघ और अन्य संबंधित अपीलों के साथ एक अन्य।

शांति भूषण बनाम। भारत का सर्वोच्च न्यायालय टीएचआर। यह पंजीकृत है और एक और [ए. के. सिकरी, जे.]

इसे संविधान की बुनियादी विशेषताओं में से एक माना जाता है। यहाँ, हम कर सकते हैं

न्यायिक स्थिति या प्रदर्शन के चार प्रमुख पहलुओं को इंगित करें, जो हैंः स्वतंत्रता; निष्पक्षता; निष्पक्षता; और क्षमता।

32. अलेक्जेंडर एम. बिकेल ने 1962 में इस बात पर जोर दिया था कि

न्यायपालिका सबसे कम खतरनाक शाखा है क्योंकि सिकंदर के ज्ञान के निम्नलिखित शब्दों को दोहराते हुए, उसके पास न तो पर्स है और न ही तलवार।

हैमिल्टन 12 1 2: .

" जो भी सत्ता के विभिन्न विभागों पर ध्यान से विचार करता है

यह समझना चाहिए कि जिस सरकार में वे एक-दूसरे से अलग हैं, वहां न्यायपालिका अपने कार्यों की प्रकृति से हमेशा लोगों के राजनीतिक अधिकारों के लिए सबसे कम खतरनाक होगी।

संविधान; क्योंकि यह कम से कम परेशान करने की क्षमता में होगा या

उन्हें चोट पहुँचाएँ। कार्यपालिका न केवल सम्मान प्रदान करती है, बल्कि समुदाय की तलवार भी अपने पास रखती है। विधायिका न केवल पर्स का आदेश देती है, बल्कि उन नियमों को निर्धारित करती है जिनके द्वारा कर्तव्य निर्धारित किए जाते हैं।

और प्रत्येक नागरिक के अधिकारों को विनियमित किया जाना है। इसके विपरीत, न्यायपालिका का तलवार या पर्स पर कोई प्रभाव नहीं है; समाज की ताकत या धन के बारे में कोई निर्देश नहीं है; और कोई भी सक्रिय समाधान नहीं ले सकता है। यह वास्तव में कहा जा सकता है कि इसमें न तो बल है और न ही इच्छा, बल्कि केवल निर्णय है; और

अंततः कार्यकारी शाखा की सहायता पर भी निर्भर होना चाहिए

इसके निर्णयों की प्रभावशीलता के लिए।

33. तलवार या पर्स के बिना भी न्यायपालिका संविधान की संरक्षक बनी हुई है। इसकी एकमात्र ताकत जनता में है।

विश्वास और विश्वास। ए. एस. आनंद, जे. (हिज लॉर्डशिप के रूप में, बाद में भारत के मुख्य न्यायाधीश) ने इस पहलू पर प्रकाश डाला (हालांकि

न्यायालय की अवमानना अधिकारिता के संदर्भ में) राजस्थान राज्य बनाम। प्रकाश चंद & Ors.[1]3 निम्नलिखित शब्दों मेंः

" न्यायाधीशों में विनम्रता का गुण और इस बात की निरंतर जागरूकता कि उनमें शक्ति का निवेश जनहित में उपयोग करने और कानून के शासन की महिमा को बनाए रखने के लिए है, काफी हद तक सभी न्यायिक कार्यों के निर्वहन में आत्मसंयम सुनिश्चित करेगा और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए

रखेगा। यह कहने पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि न्यायाधीश के सभी कार्य विवेकपूर्ण होने चाहिए। जनता के मन में न्यायपालिका की विश्वसनीयता का क्षरण,

1 'उनकी पुस्तक' द लीस्ट डेंजरस ब्रांच '1 2 इन द 78 थ फेडरेलिस्ट,' द जजेज ऐज गार्जियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 'में। 13 (1998) 1 एससीसी 1 [2018] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

किसी भी कारण से, सबसे बड़ा खतरा है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। इसलिए, न्यायाधीशों द्वारा इस तरह के किसी भी गुप्त आंतरिक खतरे से बचने के लिए शाश्वत सतर्कता आवश्यक है, ऐसा न हो कि हम "स्वयं से लगाए गए प्राणघातक घावों से पीड़ित हों"।

हमें याद रखना चाहिए कि संविधान सभी स्तरों के न्यायाधीशों सहित किसी को भी असीमित शक्तियां नहीं देता है। सामाजिक

न्यायाधीशों की अलग और निष्पक्ष होने की धारणा

रेफरी न्यायपालिका की सबसे बड़ी ताकत है और हर न्यायपालिका के सदस्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह धारणा

सचेत या अचेतन रूप से एक सेट वापस प्राप्त नहीं करता है। न्यायिक प्रक्रिया की प्रामाणिकता जनता के विश्वास पर टिकी होती है और जनता का विश्वास न्यायिक प्रक्रिया की वैधता पर टिकी होती है। वैधता के स्रोत न्यायाधीश द्वारा मान्यता प्राप्त वस्तुनिष्ठ सिद्धांतों के अवैयक्तिक अनुप्रयोग में हैं जो अपने अस्तित्व के लिए ऋणी हैं

व्यक्तिपरक मनोदशाओं, पूर्वाग्रहों से अलग प्रणाली,

भावनाएँ और पूर्वाग्रह "।

34. हम एस. पी. गुप्ता के निम्नलिखित अंश को भी उद्धृत कर सकते हैं।

पाठक, जे.):

" जहाँ न्याय प्रशासन को संविधान से कानूनी मंजूरी मिलती है, वहीं इसकी विश्वसनीयता लोगों के विश्वास में टिकी होती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता उस विश्वास के लिए अपरिहार्य है। एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका न्यायिक संस्थान के लिए कारण प्रदान करती है, यह न्यायिक संस्थान को चरित्र और सामग्री भी प्रदान करती है।

संवैधानिक परिवेश "। 35. इसी निर्णय में, जे. एस. वर्मा, जे. ने उपरोक्त बात को दोहराया।

निम्नलिखित संदेश के साथः

" संविधान के तहत न्यायपालिका की भूमिका एक पवित्र न्यास है

लोगों को शांत किया। संविधान और लोकतांत्रिक-उसके तहत राजनीति नहीं बचेगी, जिस दिन न्यायपालिका उक्त विश्वास को उचित ठहराने में विफल रहती है। यदि न्यायपालिका विफल हो जाती है, तो संविधान विफल हो जाता है और लोग किसी अन्य विकल्प का विकल्प चुन सकते हैं।

36. इस प्रकार, लोगों का विश्वास वह आधार है जिस पर न्यायिक समीक्षा और निर्णय की प्रभावशीलता की नींव रखी जाती है। न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर, जनता के मन में, चाहे जो भी हो, न्यायपालिका की

स्वतंत्रता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। हम जवाबदेही के युग में जी रहे हैं। न्यायाधीशों के लिए जो आवश्यक है वह बदल रहा है।

[

37.

38.

39.

14

8] 12 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आवेदन। आखिरकार, कोई भी प्रणाली पूर्ण प्रमाण नहीं है। सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। न्याय के प्रशासन में सुधार, चाहे वह न्यायिक पक्ष में हो या प्रशासनिक रूप से, एक निरंतर प्रक्रिया है। हम सभी अनुभवों से सीखते हैं और बेहतर करने का प्रयास करते हैं।

40. बेशक, यह बिना कहे चला जाता है कि मामलों को सूचीबद्ध करने और सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार पीठों को सौंपने की आवश्यकता है।

न्यायालय नियम, 2013 और अभ्यास और प्रक्रिया की पुस्तिका।

41. बाध्यकारी उदाहरणों में निर्धारित उपरोक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता की इस प्रार्थना को स्वीकार करना मुश्किल है कि सर्वोच्च न्यायालय नियम, 2013 या संविधान के अनुच्छेद 145 में दिखाई देने वाली 'मुख्य न्यायाधीश' अभिव्यक्ति को मामलों को आवंटित करने के उद्देश्य से पांच वरिष्ठतम न्यायाधीशों के 'कॉलेजियम' के रूप में पढ़ा जाए। साथ ही, हम महसूस करते हैं कि इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न बहस ने अपना उद्देश्य पूरा किया है। ऐसा कहते समय, हमारे मन में निम्नलिखित शब्द हैं -

मलेशिया के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश, माननीय न्यायमूर्ति तुन मोहम्मद दजैद्दीन अब्दुल्ला 1 5:

" न्यायाधीशों के रूप में, हम सुनवाई, मार्शलिंग और मूल्यांकन करने के आदी हैं

सबूत।

वास्तव में, जब पीतल के व्यापार की बात आती है, तो हम यही मानते हैं कि बेंच पर अपने जीवन के बेहतर हिस्से में ऐसा करने के लिए हम हमेशा बाध्य रहते हैं। हम जो भी निर्णय लेते हैं वह महत्वपूर्ण होता है।

क्योंकि यह अन्य लोगों के जीवन और भाग्य को छूता है। इस प्रकार यह अच्छा है, इसलिए समय-समय पर, आज की तरह, और अगले तीन दिनों में, हमें खुद पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह एक जिम्मेदारी है जिसका हम निर्वहन कर रहे हैं।

42. हम निम्नलिखित संदेश को गहराई से व्यक्त करते हुए समाप्त करते हैं।

अर्थात्, प्रख्यात अधिवक्ता फली एस. नरीमन द्वारा हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 'परिचय' में लिखा गया हैः

" दूसराः हमारे संविधान द्वारा बनाई गई संस्थाएं, जैसे सर्वोच्च

अदालत, कुछ समय के लिए प्रभारी पुरुषों और महिलाओं की तुलना में हमेशा बड़ी है और रहेगी। और यही कारण है कि हमारा न्यायालय हमेशा 'माननीय' रहेगा जैसा कि नौ-न्यायाधीशों की पीठ है।

1 5 अप्रैल, 2002 में कुआलालंपुर में राष्ट्रमंडल अधिवक्ता संघ द्वारा आयोजित "न्यायिक जवाबदेही" पर एक कार्यशाला में उनके द्वारा दिए गए स्वागत भाषण से लिया गया।

16 भगवान माननीय सर्वोच्च न्यायालय और अन्य रायों को बचाएँ।

शांति भूषण बनाम। भारत का सर्वोच्च न्यायालय टीएचआर। यह पंजीकृत है और एक और

संयुक्त राज्य अमेरिका का दो सौ साल से अधिक पुराना सर्वोच्च न्यायालय, जिसे प्रत्येक दिन न्यायालय के क्लर्क द्वारा याद दिलाया जाता है कि यह बैठता है (न्यायाधीशों के बैठने से पहले जोर से घोषणा की जाती है): भगवान संयुक्त राज्य अमेरिका और इस माननीय न्यायालय को बचाएँ।

और

तीसराः जहां तक पीठ के कुछ समय के प्रभारी पुरुषों और महिलाओं का सवाल है, तो उन्हें यह कहते हुए सुना जा सकता है (जैसा कि एडमंड बर्क ने 1780 में एक चुनावी भाषण में कहा था):

" जब हम दौड़ते हैं तो हमारी प्रशंसा करें; जब हम गिरते हैं तो हमें सांत्वना दें; जब हम ठीक हो जाते हैं तो हमें खुश करें; लेकिन हम आगे बढ़ें-भगवान के लिए, हमें गुजरने दें।

"पर।

43. हम, इस प्रकार, बिना किसी आगे के रिट याचिका का निपटारा करते हैं।

दिशा निर्देश।

अशोक भूषण, जे. 1. मुझे गुजरने का फायदा है

मेरे सम्मानित भाई न्यायमूर्ति ए. के. सीकरी के फैसले का मसौदा। मैं अपने भाई द्वारा व्यक्त की गई राय से पूरी तरह सहमत हूं, हालांकि, रिट याचिका में उठाए गए मुद्दों के महत्व को देखते हुए मैं इस विषय पर अपने विचार भी व्यक्त करता हूं।

2. याचिकाकर्ता, इस न्यायालय के एक वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व कानून मंत्री ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत यह रिट याचिका दायर की है।

निम्नलिखित राहतों के लिए प्रार्थनाः

" क) कि यह माननीय न्यायालय घोषणा के स्वरूप में एक घोषणा पत्र या एक रिट या कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करने और घोषित करने के लिए प्रसन्न हो सकता है।

कि मामलों की सूची को सर्वोच्च न्यायालय के नियम, 2013 और अभ्यास और प्रक्रिया और कार्यालय प्रक्रिया पर पुस्तिका का सख्ती से पालन करना चाहिए, जो निम्नलिखित स्पष्टीकरण के अधीन हैः

i) 'भारत के मुख्य न्यायाधीश' शब्दों का अर्थ इस माननीय न्यायालय के 5 वरिष्ठ न्यायाधीशों का कॉलेजियम माना जाना चाहिए।

ख) कि यह माननीय न्यायालय घोषणा के स्वरूप में एक घोषणा पत्र या एक रिट या कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी कर सकता है और यह घोषित कर सकता है कि रजिस्ट्री, अधिकारियों द्वारा सूचीबद्ध करने के उद्देश्यों के लिए, यदि कोई हो, भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श [2018] 12 एस. सी. आर. होना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इतनी संख्या में वरिष्ठ-अधिकांश न्यायाधीशों के साथ परामर्श शामिल करें

जैसा कि यह माननीय न्यायालय न्याय के हित में तय कर सकता है।

ग) कि यह माननीय न्यायालय एक रिट जारी कर सकता है

निषेध या निषेध की प्रकृति में एक रिट या कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जो भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश और संबंधित उत्तरदाताओं को सर्वोच्च न्यायालय नियम, 2013 के विपरीत किसी भी मामले को सूचीबद्ध करने से रोकता है और

अभ्यास और प्रक्रिया और कार्यालय प्रक्रिया पर पुस्तिका या इसके विपरीत सूचीबद्ध करने के उद्देश्य से पीठों को चुनना और चुनना, 'भारत के मुख्य न्यायाधीश' की जगह 5 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के कॉलेजियम के उपरोक्त संशोधन के साथ।

इस माननीय न्यायालय के न्यायाधीश।

घ) कि यह माननीय न्यायालय स्पष्ट कर सकता है कि जब मामलों का उल्लेख तत्काल सुनवाई/सूचीबद्ध करने के लिए किया जाता है, तो केवल सुनवाई की तारीख/समय तय किया जाएगा, लेकिन मामले की सुनवाई करने वाली पीठ नियमों के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

ई) कि यह माननीय न्यायालय इस तरह के अन्य अनुदान देने के लिए प्रसन्न हो सकता है और आगे की राहत जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उपयुक्त मानी जाए और जो न्याय के हित में आवश्यक हो।

3. रिट याचिका में याचिकाकर्ता का कहना है कि हालांकि चीफ सीई मास्टर ऑफ रोस्टर है और उसके पास उच्चतम न्यायालय की पीठों/न्यायाधीशों को किराए पर लेने के लिए मामले आवंटित करने का अधिकार है, लेकिन हालांकि इस तरह के अधिकार का उपयोग इस तरह से नहीं किया जा सकता है कि मुख्य न्यायाधीश द्वारा उच्च अधिकार का दावा किया जा सके। इस संबंध में, यह प्रासंगिक है कि याचिकाकर्ता ने पैराग्राफ 4 और पैराग्राफ में याचिका दायर की है, जो निम्नलिखित प्रभाव से हैः

" 4. यह एक ऐसा सिद्धांत है जिसे न्यायपालिका द्वारा तय किया गया है।

माननीय सर्वोच्च की घोषणाएँ और सम्मेलन

अदालत ने कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश रोस्टर के मास्टर हैं और उन्हें सर्वोच्च न्यायालय की विभिन्न पीठों/न्यायाधीशों को मामले आवंटित करने का अधिकार है। न्यायिक अनुशासन और शिष्टाचार बनाए रखने और न्यायालय के उचित और कुशल संचालन के लिए इस सिद्धांत का पालन करना आवश्यक है। हालांकि, इस तरह के अधिकार का प्रयोग करने की शक्ति का उपयोग इस तरह से नहीं किया जा सकता है।

मुख्य न्यायाधीश द्वारा किसी भी उच्चतर अधिकार का दावा करने का तरीका। यह न्यायशास्त्र का एक सुव्यवस्थित सिद्धांत भी है।

कि मुख्य न्यायाधीश समकक्षों में केवल प्रथम होता है।

शांति भूषण बनाम। भारत का सर्वोच्च न्यायालय टीएचआर। यह रजिस्टर है और एक और [अशोक भूषण, जे।]

6. एक रोस्टर घोषित करता है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को क्या काम सौंपा गया है। मास्टर ऑफ द रोस्टर 'सुनवाई के लिए पीठों का गठन करने के लिए मुख्य न्यायाधीश के विशेषाधिकार को संदर्भित करता है। मामले। यह एक पूर्व-आवश्यकता है कि इस शक्ति का प्रयोग इस तरह से किया जाना चाहिए जो निष्पक्ष, न्यायसंगत और पारदर्शी हो और भारत के मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय से वांछित सत्यनिष्ठा के उच्च मानकों को ध्यान में रखते हुए हो।

4. याचिकाकर्ता राजस्थान राज्य बनाम प्रकाश चंद और अन्य में तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले का उल्लेख करता है। , (1998) 1 एससीसी 1, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रोस्टर का प्रमुख है और उसके पास ही न्यायालय की पीठों का गठन करने और इस प्रकार गठित पीठों को मामले आवंटित करने का विशेषाधिकार है। रिट याचिका में आगे यह अनुरोध किया गया है कि रिट याचिका उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री के कामकाज और भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा "मामलों को सूचीबद्ध करने" में प्रयोग की जाने वाली शक्तियों से संबंधित सवाल उठाती है ताकि सामान्य सार्वजनिक महत्व और/या राजनीतिक संवेदनशीलता के मामलों को केवल कुछ पीठों के समक्ष सूचीबद्ध किया जा सके जो सर्वोच्च न्यायालय के नियमों के विपरीत हैं।

प्रक्रिया और परंपराओं की पुस्तिका। हालाँकि, याचिकाकर्ता विशेष रूप से रिट याचिका के पैराग्राफ 14 में कहता है कि "वर्तमान याचिका किसी भी न्यायिक आदेश और/या निर्णय पर सवाल नहीं उठाती है"। याचिकाकर्ता ने कुछ मामलों का संदर्भ दिया है, जो याचिकाकर्ता के अनुसार शक्तियों के घोर दुरुपयोग को दर्शाता है और स्थापित करता है। के संदर्भ में याचिकाकर्ता

उपरोक्त अभिवचन ने रिट याचिका में प्रार्थना की है कि 'भारत के मुख्य न्यायाधीश' शब्द का अर्थ इस माननीय न्यायालय के पांच वरिष्ठ न्यायाधीशों का कॉलेजियम माना जाना चाहिए, जैसा कि ऊपर उल्लिखित रिट याचिका में दावा किया गया है, उपरोक्त प्रभाव से है। 5. याचिकाकर्ता की ओर से श्री प्रशांत भूषण की सहायता से वरिष्ठ वकील श्री दुष्यंत दवे ने कहा कि पीठों का गठन एक संवेदनशील मामला होने के कारण इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए या ऐसी शक्ति केवल मुख्य न्यायाधीश को नहीं दी जानी चाहिए, बल्कि इस अदालत को दी जानी चाहिए।

अनुच्छेद 124 की व्याख्या करते समय यह अभिनिर्धारित किया गया है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति होनी चाहिए

मुख्य न्यायाधीश और चार वरिष्ठ न्यायाधीशों से मिलकर बने कॉलेजियम द्वारा रोस्टर को अंतिम रूप देते समय एक ही व्याख्या या सिद्धांत लागू किया जाना चाहिए। रोस्टर तैयार करने का काम कॉलेजियम को सौंपा जाना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश और चार वरिष्ठ न्यायाधीश। विद्वान वरिष्ठ वकील प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता कोई आरोप नहीं लगा रहा है और केवल एक प्रणाली तैयार करने का प्रयास है ताकि मामलों का चयन न हो।

जबकि अनुच्छेद 124 की व्याख्या न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सिफारिश करते समय सामूहिक विवेक पर निर्भर करती है, वही व्याख्या रोस्टर तैयार करते समय मुख्य न्यायाधीश द्वारा शक्ति के प्रयोग में लागू की जानी चाहिए। वैकल्पिक रूप से, यह प्रस्तुत किया जाता है कि रोस्टर तैयार करने की शक्ति पूरे न्यायालय को दी जाए और पूरा न्यायालय अंतिम रूप देने के लिए सिद्धांतों को तय कर सकता है

सूची में। याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील ने विभिन्न अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं का भी उल्लेख किया है, जो विभिन्न देशों में विभिन्न पीठों को मामलों के आवंटन के संबंध में अपनाई जाती हैं।

6. रिट याचिका का विरोध करने वाले विद्वान महान्यायवादी श्री के. के. वेणुगोपाल ने कहा कि संविधान और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत, यह मुख्य न्यायाधीश हैं, जो मामलों के आवंटन और पीठों के गठन के संबंध में निर्णय लेने पर विचार कर रहे हैं। विद्वान महान्यायवादी द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि मामलों के आवंटन और रोस्टर तैयार करने का अभ्यास एक अभ्यास है, जिसे कई व्यक्तियों द्वारा नहीं किया जा सकता है। वे प्रस्तुत करते हैं कि मामलों के आवंटन के संबंध में कॉलेजियम के सदस्यों में मतभेद हो सकते हैं, जिससे न्यायालय के सुचारू संचालन में बाधा आएगी। वह प्रस्तुत करता है कि रोस्टर का प्रयोग इस न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सिफारिश करने के अभ्यास से पूरी तरह से अलग है। अन्य न्यायाधीशों की भागीदारी से, हितों के टकराव की संभावना है। रोस्टर बनाने वाले न्यायाधीशों की बहुलता अराजकता का कारण बनेगी, जिससे न्यायालय के सुचारू संचालन में बाधा आएगी। विद्वान वकील जनरल ने इस प्रस्ताव के लिए इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों का उल्लेख किया है कि मुख्य न्यायाधीश को मास्टर ऑफ रोस्टर माना गया है और न्यायालय के सुचारू संचालन के लिए पीठों का गठन करना और विभिन्न पीठों को मामले आवंटित करना मुख्य न्यायाधीश का एकमात्र विशेषाधिकार है।

मामलों के आवंटन और गठन के लिए पारदर्शी और गैर-मनमाना प्रणाली इस न्यायालय के कामकाज की किसी भी आलोचना को दूर करने के लिए पीठों का गठन। रिट याचिका का उद्देश्य किसी के खिलाफ आरोप लगाना या सवाल पूछना नहीं है

इस न्यायालय का कोई भी निर्णय; बल्कि पूरा प्रयास न्यायपालिका की स्वतंत्रता को मजबूत करने के लिए न्यायिक प्रणाली में सुधार करना है।

7. हमने पक्षकारों के विद्वान वकील की दलीलों पर विचार किया है और अभिलेखों का अवलोकन किया है।
8. इससे पहले कि हम पक्षों के लिए विद्वान वकील द्वारा उठाए गए प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार करें, इस विषय पर प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों और उदाहरणों पर ध्यान देना प्रासंगिक है। शांति भूषण का सर्वोच्च न्यायालय बनाम।

भारत का सर्वोच्च न्यायालय टीएचआर। यह रजिस्टर है और एक और [अशोक भूषण, जे।]

भारत संघीय न्यायालय का उत्तराधिकारी है, जिसे ब्रिटिश भारत में भारत सरकार अधिनियम, 1935 द्वारा स्थापित किया गया था। पहली बार, भारत के मुख्य न्यायाधीश पर भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 200 द्वारा विचार किया गया था। संघीय न्यायालय की स्थापना से पहले, यह विभिन्न राज्यों में न्याय का प्रशासन करने वाले उच्च न्यायालय थे। उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ, प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति के समक्ष अपील पर विचार किया गया था। इस मामले के प्रयोजनों के लिए, यह आवश्यक नहीं है कि

इस देश में न्यायालयों के न्यायिक इतिहास का पता लगाएं। 9. 1935 के अधिनियम की धारा 200 (1), जिसमें संघीय न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान था, निम्नलिखित के लिए थीः

प्रभावः

" 200 . - (1) एक संघीय न्यायालय होगा जिसमें एक प्रमुख होगा।

भारत के न्यायाधीश और उनके जैसे अन्य न्यायाधीशों की संख्या

महामहिम आवश्यक समझ सकते हैं, लेकिन जब तक कि कोई पता न हो

संघीय विधानमंडल द्वारा प्रस्तुत किया गया है

गवर्नर-महामहिम के समक्ष समर्पण के लिए प्रार्थना करने के लिए जनरल न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि, बच्चों की संख्या

न्यायाधीश छह से अधिक नहीं होंगे।

10. 1935 के अधिनियम की धारा 214 में न्यायालय आदि के नियमों का प्रावधान किया गया था, जो इस प्रकार थाः

" 214 . - (1) संघीय न्यायालय समय-समय पर, गवर्नर-जनरल के अनुमोदन से, अपने विवेकाधिकार में, आम
तौर पर प्रथा को विनियमित करने के लिए न्यायालय के नियम और

व्यक्तियों के बारे में नियमों सहित न्यायालय की प्रक्रिया न्यायालय के समक्ष वकालत करते हुए, उस समय के बारे में जिसके भीतर न्यायालय में अपील की जानी है, न्यायालय में किसी भी कार्यवाही की लागत और आनुषंगिक के बारे में, और देय शुल्क के बारे में

उसमें कार्यवाहियों के संबंध में आरोपित, और विशेष रूप से किसी भी अपील के संक्षिप्त निर्धारण के लिए नियम बना सकते हैं जो अदालत को तुच्छ या परेशान करने वाली या देरी के उद्देश्य से लाई गई प्रतीत होती है।

(2) इस धारा के तहत बनाए गए नियम किसी भी उद्देश्य के लिए बैठने वाले न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या तय कर सकते हैं, ताकि

मामले का निर्णय तीन से कम न्यायाधीशों द्वारा किया जाएगाः बशर्ते कि, यदि संघीय विधानमंडल अपीलीय [2018] 12 एस. सी. आर. के विस्तार के लिए ऐसा प्रावधान करता है जिसका इस अध्याय में उल्लेख किया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायालय की अधिकारिता, नियमों के लिए प्रदान करेगा

इस उद्देश्य के लिए न्यायालय के एक विशेष प्रभाग का गठन

उन सभी मामलों को तय करने के लिए जो इसके भीतर होते

न्यायालय की अधिकारिता भले ही इसकी अधिकारिता नहीं थी

इतना बड़ा।

(3) न्यायालय के किसी भी नियम के प्रावधानों के अधीन, प्रमुख

भारत का न्याय यह निर्धारित करेगा कि किन न्यायाधीशों का गठन किया जाना है

न्यायालय का कोई भी विभाजन और किसी के लिए कौन से न्यायाधीश बैठेंगे

उद्देश्य।

(4) संघीय न्यायालय द्वारा कोई निर्णय खुले न्यायालय में और मामले की सुनवाई में उपस्थित न्यायाधीशों के बहुमत की सहमति के अलावा नहीं दिया जाएगा, लेकिन इस उप-धारा में कुछ भी ऐसे न्यायाधीश को रोकने के लिए नहीं माना जाएगा जो ऐसा नहीं करता है।

एक असहमत निर्णय देने से सहमत।

(5) संघीय न्यायालय में सभी कार्यवाही अंग्रेजी में होगी।

भाषा "।

11. धारा 214 की उप-धारा (3) में विशेष रूप से प्रावधान किया गया है कि न्यायालय के किसी भी नियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, भारत का मुख्य न्यायाधीश

यह निर्धारित करना कि न्यायालय के किसी भी विभाग का गठन करने के लिए कौन से न्यायाधीश हैं और किसी भी उद्देश्य के लिए कौन से न्यायाधीश बैठेंगे। इस प्रकार भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायालय के किसी भी विभाग का गठन करने के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर रहे थे और

विभिन्न उद्देश्यों के लिए बैठने के लिए न्यायाधीशों को नामित करना।

12. भारत के संविधान का भाग 5 अध्याय 4 केंद्रीय न्यायपालिका से संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 145 में इन नियमों का प्रावधान है -

उप-अनुच्छेद (1) में उल्लिखित विषय। अनुच्छेद 145 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने समय-समय पर नियम बनाए हैं। उच्चतम न्यायालय नियम, 1950, उच्चतम न्यायालय नियम, 1966 और उसके बाद उच्चतम न्यायालय नियम, 2013 को अनुच्छेद 145 (1) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए तैयार किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के नियम, 2013 में, आदेश VI डिवीजन न्यायालयों के

गठन और एकल न्यायालय की शक्तियों से संबंधित है। इस प्रकार हैं:

न्यायाधीश। आदेश VI के नियम 1 और 2

शांति भूषण बनाम। भारत का सर्वोच्च न्यायालय टीएचआर। यह रजिस्टर है और एक और [अशोक भूषण, जे।]

" 1. इन नियमों के अन्य प्रावधानों के अधीन प्रत्येक कारण, अपील या मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित कम से कम दो न्यायाधीशों वाली पीठ द्वारा की जाएगी।

2. जहाँ किसी कारण की सुनवाई के दौरान, अपील या

अन्य कार्यवाही में, पीठ का मानना है कि मामले को एक बड़ी पीठ द्वारा निपटाया जाना चाहिए, वह मामले को मुख्य न्यायाधीश के पास भेजेगी, जो इसके बाद ऐसी पीठ का गठन करेगी।

इसकी सुनवाई के लिए।

13. भारत के संविधान के अनुसार पूर्ववर्ती संघीय न्यायालय के भारत के मुख्य न्यायाधीश और भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायालय के कार्य के सुविधाजनक वितरण के लिए सूची तैयार करने और समय-समय पर पीठों का गठन करने की अधिकारिता का प्रयोग करना।

14. इस न्यायालय को बार-बार भारत के मुख्य न्यायाधीश की शक्तियों की प्रकृति और विस्तार पर विचार करने का भी अवसर मिला था। इसके लिए

इस मामले के उद्देश्यों के लिए, कुछ उदाहरणों को संदर्भित करना उपयोगी है

सम्मान से ऊपर। राजस्थान राज्य बनाम प्रकाश चंद और अन्य, (1998) 1 एस. सी. सी. 1 में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ, जिसे याचिकाकर्ता द्वारा भी संदर्भित किया गया है और जिस पर भरोसा किया गया है, ने विस्तार से कहा था।

विषय पर विचार किया। पीठों के गठन के संबंध में मुख्य न्यायाधीश की शक्ति के संबंध में, इस न्यायालय ने राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश, 1949 के पैरा 44 के साथ-साथ राजस्थान के लिए उच्च न्यायालय के न्यायिक नियमों के नियम 54 का उल्लेख करने के बाद निर्धारित किया

पैराग्राफ 10 में निम्नलिखित हैः

“ 10. अध्यादेश और नियम 54 (उपर्युक्त) के उपरोक्त प्रावधानों को ध्यान से पढ़ने से पता चलता है कि उच्च न्यायालय का प्रशासनिक नियंत्रण केवल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश में निहित है और उच्च न्यायालय के कार्यों को न्यायिक और प्रशासनिक दोनों तरह से वितरित करना उनका विशेषाधिकार है। केवल उसे ही यह तय करने का अधिकार और शक्ति है कि उच्च न्यायालय की पीठों का गठन कैसे किया जाए: किस न्यायाधीश को अकेले बैठना है और वह किन मामलों की सुनवाई कर सकता है और उससे यह भी सुनना आवश्यक है कि कौन से न्यायाधीश एक खंड पीठ का गठन करेंगे और वे पीठ क्या काम करेंगी। दूसरे शब्दों में, के न्यायाधीश उच्च न्यायालय अकेले या खंड पीठों में बैठ सकता है और केवल ऐसा काम कर सकता है जो उन्हें [2018] 12 एस. सी. आर. के आदेश द्वारा आवंटित किया जाए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मुख्य न्यायाधीश के निर्देशों के अनुसार। कि

आवश्यक रूप से इसका मतलब है कि यह क्षमता के भीतर नहीं है या

न्यायालय की किसी एकल या खंड पीठ का उस ओर से रजिस्ट्री को कोई निर्देश देने का अधिकार क्षेत्र जो मुख्य न्यायाधीश के निर्देशों के विपरीत होगा। इसलिए मामलों की योजना में न्यायिक अनुशासन की मांग है कि यदि कोई एकल न्यायाधीश या एक खंड पीठ यह मानती है कि किसी विशेष मामले को वैध कारणों से उसके समक्ष सूचीबद्ध करने की आवश्यकता है, तो उसे रजिस्ट्री को मुख्य न्यायाधीश से उचित आदेश प्राप्त करने का निर्देश देना चाहिए। कनिष्ठ न्यायाधीशों से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि

पक्षकारों के अधिवक्ताओं से मामले को सूचीबद्ध करने के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार करें जो सख्ती से निर्धारित सीमा के भीतर नहीं आता है।

सूची. ऐसे मामलों में, वकील को निर्देश देना उचित है कि -

मुख्य न्यायाधीश के समक्ष उल्लेख करें और प्राप्त करें

उचित आदेश। यह सुचारू रूप से काम करने के लिए आवश्यक है। अदालत से। यद्यपि न्यायिक पक्ष में मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक पक्ष में केवल "समकक्षों में प्रथम" होते हैं।

न्यायपीठों के गठन और रोस्टर बनाने के मामले में, केवल उसके पास ही आवश्यक शक्तियाँ निहित हैं। कि रोस्टर बनाने की शक्ति विशेष रूप से मुख्य न्यायाधीश में निहित है और एक दैनिक कारण सूची के निर्देशों के तहत तैयार की जानी है

मुख्य न्यायाधीश जैसा कि नियम 73 से निकला है, जो इस प्रकार हैः

" 73. दैनिक कारण सूची। - पंजीयक ऐसे निर्देशों के अधीन होगा जो मुख्य न्यायाधीश समय-समय पर प्रत्येक दिन जिसके लिए न्यायालय बैठता है, के लिए उन मामलों की एक सूची तैयार करने का कारण दे, जिनकी सुनवाई न्यायालय की विभिन्न पीठों द्वारा की जा सकती है। सूची में यह भी बताया जाएगा कि प्रत्येक पीठ किस समय और किस कमरे में बैठेगी। ऐसी सूची होगी -

दिन की सूची के रूप में जाना जाता है।

15. उपरोक्त मामले में इस न्यायालय ने इंदर मणि और अन्य बनाम माथेश्वरी विज्ञापन और अन्य, (1996) 6 एस. सी. सी. 587 और विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा अलग-अलग निर्णयों को भी संदर्भित किया है, जिसमें विभिन्न निर्णयों के बाद एक ही सिद्धांत को दोहराया गया है। विभिन्न मामलों में किराया उच्च न्यायालयों द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को मंजूरी देने के बाद, निम्नलिखित में निर्धारित किया गया थाः

ग्राफ 23:

एन. टी. आई. भूषण बनाम भारत का सर्वोच्च न्यायालय टीएचआर। यह रजिस्टर है और एक और [अशोक भूषण, जे।]

" 23. उपरोक्त राय हमें आकर्षित करती है और हम इससे सहमत हैं। इसलिए, वैधानिक प्रावधानों और विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा सही निर्णय लिए गए विषय पर मामलों की समीक्षा से, जिनके लिए हमारे द्वारा संदर्भ दिया गया है, यह इस प्रकार है कि

न्यायाधीश या न्यायाधीशों की पीठ किसी मामले में अधिकारिता ग्रहण कर सकती है।

उच्च न्यायालय में लंबित मामला जब तक कि मामला मुख्य न्यायाधीश द्वारा उन्हें आवंटित नहीं किया जाता है। न्यायिक अनुशासन और न्यायालय के उचित कामकाज को बनाए रखने के लिए इस प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करना आवश्यक है। इससे बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यदि उच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश अपने द्वारा निपटारे के लिए मामलों को चुनना और चुनना शुरू कर देता है, तो उच्च न्यायालय में अनुशासन हताहत होगा और न्याय प्रशासन को नुकसान होगा। कोई भी कानूनी प्रणाली मशीनरी की अनुमति नहीं दे सकती है

अदालत गिरने के लिए।

16. इस न्यायालय ने पैरा 59 में अपना निष्कर्ष दर्ज किया है, जिसका प्रभाव निम्नानुसार हैः

" 59. पूर्ववर्ती चर्चा से निम्नलिखित व्यापक

निष्कर्ष सामने आते हैं। बेशक, इसे हमारे निर्णय के सारांश के रूप में नहीं माना जाना चाहिए और निष्कर्ष यह होना चाहिएः

फैसले के पाठ के साथ पढ़िएः

(1) कि उच्च न्यायालय का प्रशासनिक नियंत्रण केवल मुख्य न्यायाधीश में निहित है। हालाँकि, न्यायिक पक्ष में, वह है

केवल बराबर के बीच पहला।

(2) कि मुख्य न्यायाधीश रोस्टर का मास्टर है। केवल उसे ही न्यायालय की पीठों का गठन करने का विशेषाधिकार है और

इस प्रकार गठित पीठों को मामले आवंटित करें।

(4) कि जब तक मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया गया कोई भी निर्धारण नहीं रहता है, तब तक कोई भी न्यायाधीश जिसे अकेले बैठना है, डिवीजन बेंच में नहीं बैठ सकता है और किसी भी डिवीजन बेंच को स्वयं बेंच का गठन करने वाले न्यायाधीशों और एक या दोनों न्यायाधीशों द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता है। ऐसी पीठ अकेले बैठती है और किसी अन्य प्रकार के न्यायिक कार्य को करती है जो अन्यथा उनके द्वारा या उनके अधीन उन्हें नहीं सौंपा गया है।

मुख्य न्यायाधीश के निर्देश।

नियम 55 (ऊपर) के तहत उनके समक्ष रखा गया आवेदन और संदर्भित करें इसके निपटारे के लिए बड़ी पीठ को एक मामला और वह अभ्यास कर सकता है

यह अधिकारिता किसी आंशिक सुनवाई वाले मामले के संबंध में भी है।

उच्च न्यायालय में लंबित मामला और उसे खुद को सौंपें या स्वयं के उचित आदेश के बिना निपटान के लिए

मुख्य न्यायाधीश।

(7) कि कोई भी न्यायाधीश या न्यायाधीश रजिस्ट्री को निर्देश नहीं दे सकता है

उसके या उनके सामने किसी भी मामले को सूचीबद्ध करने के लिए जो इसके विपरीत है

मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्देश।

एचएचएचएचएचएचएचएक्स '

17. एक ही दृष्टिकोण को दोहराने वाले निर्णयों की श्रृंखला है

राजस्थान राज्य (ऊपर) में इस न्यायालय द्वारा निहित। इससे पहले, भारत संघ और एक अन्य बनाम रघुबीर सिंह (मृत)रु. , (1989) 2 एस. सी. सी. 754, इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने यह आदेश दिया कि व्यवहार और सुविधा के एक सामान्य नियम के रूप में, न्यायालय

घ प्रभागों में बैठता है और प्रत्येक प्रभाग न्यायाधीशों से गठित किया जाता है

ई संख्या का निर्धारण न्यायिक आवश्यकता की आवश्यकताओं द्वारा किया जा सकता है,

मामले के संबंध में किसी भी वैधानिक अधिदेश सहित, ऐसे अन्य विचार जिनमें मुख्य न्यायाधीश, जिसमें

रीति-रिवाज द्वारा नैतिकता को विभाजित किया जाता है। पैराग्राफ 27 में निम्नलिखित कहा गया है -

वेदः

..... इसमें संदेह नहीं किया जा सकता कि

एक द्वारा निर्धारित कानून में स्थिरता और निश्चितता को बढ़ावा देना

उच्च न्यायालय, आदर्श शर्त यह होगी कि संपूर्ण

न्यायालय को सभी मामलों में कानून के प्रश्नों का निर्णय करने के लिए बैठना चाहिए, और

इस कारण से संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय करता है

तो। लेकिन काम की मात्रा की मांग को ध्यान में रखते हुए

व्यवहार और सुविधा के एक सामान्य नियम के रूप में कि न्यायालय प्रभागों में बैठना चाहिए, प्रत्येक प्रभाग का गठन किया जा रहा है

न्यायाधीश जिनकी संख्या आवश्यकताओं द्वारा निर्धारित की जा सकती है

उसके संबंध में वैधानिक अधिदेश, और ऐसे अन्य द्वारा जिन पर विचार करते हुए मुख्य न्यायाधीश, जिसमें

प्राधिकरण परंपरा द्वारा हस्तांतरित किया जाता है, सबसे अधिक पाया जा सकता है उचित है।

शांति भूषण बनाम। भारत का सर्वोच्च न्यायालय टीएचआर। यह रजिस्टर है और एक और [अशोक भूषण, जे।]

18. डी. सी. सक्सेना बनाम भारत के मुख्य न्यायाधीश,

(1996) 5 एस. सी. सी. 216, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि पीठों का गठन करना और न्यायिक कार्य सौंपना मुख्य न्यायाधीश का विशेषाधिकार है और न्यायिक कार्य वादी की सनक पर निर्भर नहीं करेगा। पैराग्राफ 26 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया हैः

..... मुख्य न्यायाधीश का विशेषाधिकार

" 26. .....

न्यायपीठों का गठन करना और न्यायिक कार्य सौंपना

यह किसी वादी की सनक पर निर्भर नहीं करेगा। "

19. यह न्यायालय उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम में आगे है।

नीरज चौबे और अन्य, (2010) 10 एस. सी. सी. 320 ने अभिनिर्धारित किया कि उच्च न्यायालय के कार्य के आवंटन की मुख्य न्यायाधीश की शक्ति न केवल राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 51 की उप-धारा (3) में निहित प्रावधानों से प्रवाहित होती है, बल्कि चीजों की प्रकृति में निहित होती है। पैरा 9 में निम्नलिखित देखा गया हैः

यदि न्यायाधीश अपना चयन करने के लिए स्वतंत्र थे

" 9 .

उन्हें कुछ भी करने के लिए अधिकार क्षेत्र या कोई विकल्प दिया गया था

मामला वे सुनना और निर्णय लेना पसंद कर सकते हैं, की मशीनरी

न्यायालय ध्वस्त हो जाएगा और न्यायालय का न्यायिक कार्य समाप्त हो जाएगा लालसा के कारण आंतरिक कलह को पीढ़ी दर पीढ़ी रोकें

विशेष रूप से

किसी विशेष अधिकार क्षेत्र के लिए

या ए

मामला।

20. उपरोक्त मामले में यह और आगाह किया गया था कि यदि

वितरण भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नहीं किया जाता है, यह उत्पन्न कर सकता है

किसी विशेष अधिकार क्षेत्र या किसी विशेष मामले की लालसा के कारण आंतरिक कलह। इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून, जैसा कि ऊपर उल्लिखित उदाहरणों से स्पष्ट है, यह है कि मुख्य न्यायाधीश द्वारा न्यायालय के कार्य का आवंटन न केवल संवैधानिक प्रावधानों से होता है, बल्कि इसे मुख्य न्यायाधीश का विशेषाधिकार माना जाता है और जो शुरू से ही पालन की जाने वाली परंपरा है। उपरोक्त के अलावा, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, मामलों को आवंटित करने की मुख्य न्यायाधीश की शक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 145 के तहत बनाए गए नियमों से आती है।

21. अब, हम उस प्रस्तुति पर आते हैं जिसे प्रस्तुत किया गया है

श्री दुष्यंत दवे ने जोर देकर कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को मामलों का आवंटन करते समय और न्यायालय के कामकाज के निपटारे के लिए पीठों का गठन करते समय कॉलेजियम के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। श्री दवे अपने उपरोक्त तर्क के समर्थन में इस न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले से समर्थन लेते हैं। न्यायाधीशों के मामले में अर्थात एस. पी. गुप्ता बनाम। भारत संघ, (1981) सप.

87, जो [2018] 12 एससीआर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बाद में दूसरे न्यायाधीशों के मामले यानी सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन और अन्य बनाम द्वारा विस्तृत और स्पष्ट किया गया था। भारत संघ, (1993) 4 एस. सी. सी. 441 और तीसरा न्यायाधीश मामला अर्थात 1998 का विशेष संदर्भ संख्या 1, (1998) 7 एस. सी. सी. 739। वह प्रस्तुत करता है कि जब

मुख्य न्यायाधीश को न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सिफारिश करने के उनके संवैधानिक कार्यों का प्रयोग करते हुए कॉलेजियम के रूप में पढ़ा गया है, वही व्याख्या "मुख्य न्यायाधीश" शब्द पर रखी जानी चाहिए जब वे अभ्यास करते हैं।

न्यायालय के कार्य को आवंटित करने की शक्ति। एस. पी. गुप्ता (ऊपर) मामले में इस न्यायालय की सात न्यायाधीशों की पीठ के फैसले का पुनर्कथन करना उपयोगी है। उपरोक्त मामलों में निर्धारित कानून। इस न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 124 (2) पर विचार करने का अवसर मिला, जिसमें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। अनुच्छेद 124 (2) इस प्रकार हैः

124 (2) . उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी।

और राज्यों में उच्च न्यायालयों के राष्ट्रपति के रूप में इस उद्देश्य के लिए आवश्यक समझते हैं और तब तक पद धारण करेंगे जब तक कि वह

पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करता हैः

बशर्ते कि किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में

मुख्य न्यायाधीश की तुलना में, भारत के मुख्य न्यायाधीश हमेशा सलाह लेंः

((क) कोई न्यायाधीश अपने हाथ के नीचे लिख कर

राष्ट्रपति, अपने पद से इस्तीफा दें;

(ख) न्यायाधीश को उसके पद से इस तरीके से हटाया जा सकता है -

खंड (4) में उपबंधित।

22. एस. पी. गुप्ता के मामले में बहुमत की ओर से बोलते हुए न्यायमूर्ति भगवती

(उपर्युक्त) अनुच्छेद 31 में निम्नलिखित अनुच्छेद 124 (2) की व्याख्या करते हुएः

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि केंद्रीय

" 31 .

सरकार, यदि वह उचित समझती है, तो इनमें से एक या अधिक से परामर्श कर सकती है -

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश या

मुख्य न्यायाधीश किसी से भी परामर्श नहीं कर सकते हैं और जहां नहीं करते हैं,

भारत का एकमात्र आवश्यक संवैधानिक पदाधिकारी होगा

परामर्श लिया जाए और ऐसे मामले में केंद्र सरकार भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय को एन. टी. आई. भूषण बनाम बाध्यकारी के रूप में स्वीकार करना चाहिए।

भारत का सर्वोच्च न्यायालय टीएचआर। यह रजिस्टर है और एक और [अशोक भूषण, जे।]

उस पर। हमें नहीं लगता कि यह तर्क अच्छी तरह से आधारित है। सर्वप्रथम, यह अनुच्छेद 124 के खंड (2) की सरल भाषा द्वारा न्यायोचित नहीं है। यह खंड स्पष्ट रूप से एक अनिवार्य अभ्यास के रूप में परामर्श का प्रावधान करता है और एकमात्र मामला जो केंद्र सरकार के विवेक पर छोड़ दिया गया है, वह है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की पसंद जो

बनो।

सलाह ली। शब्द "जैसा कि राष्ट्रपति आवश्यक समझते हैं"

केवल "उच्चतम न्यायालय और राज्यों में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों" जैसे पूर्ववर्ती शब्दों को योग्य ठहराते हैं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के किस न्यायाधीश से परामर्श किया जाना चाहिए, यह केंद्र सरकार के विवेक पर छोड़ दिया जाता है, लेकिन वहां एक या अधिक न्यायाधीशों के साथ परामर्श किया जाना चाहिए।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। केंद्र सरकार को कम से कम एक न्यायाधीश से परामर्श करना चाहिए

अनुच्छेद 124 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त नियुक्ति की शक्ति का प्रयोग करने से पहले उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की। यह आवश्यकता निर्धारित की गई है। जाहिर है क्योंकि संविधान निर्माताओं ने यह नहीं सोचा था कि केवल एक व्यक्ति की, चाहे वह कितना भी उच्च और प्रतिष्ठित क्यों न हो, संविधान में एक प्रमुख आवाज होनी चाहिए।

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति। लेकिन ऐसा लगता है।

कि संभवतः उच्चतम न्यायालय की पीठ में नियुक्तियाँ करने में इस आवश्यकता का पालन नहीं किया जाता है

एक गलत धारणा कि यह एक अनिवार्य नहीं है, बल्कि केवल एक वैकल्पिक प्रावधान है। परिणाम यह है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में अकेले भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया जाता है और मुख्य रूप से वर्षों से पालन की जाने वाली स्वस्थ प्रथा के परिणामस्वरूप, मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश की जाती है।

भारत सरकार को आम तौर पर केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार किया जाता है, जिसका परिणाम यह है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जैसे अत्यधिक महत्वपूर्ण मामले में, यह भारत के मुख्य न्यायाधीश का निर्णय होता है जो आम तौर पर सभी के लिए होता है।

व्यावहारिक उद्देश्य अंतिम। लेकिन, जैसा कि यह होता है, वहाँ नहीं हैं

इस संबंध में मुख्य न्यायाधीश का मार्गदर्शन करने के लिए निर्धारित या विकसित मानदंड और न ही व्यापक हितों के साथ कोई परामर्श है। हमारे विचार से यह बहुत संतोषजनक तरीका नहीं है।

नियुक्ति, क्योंकि ज्ञान और अनुभव की मांग है कि किसी एक व्यक्ति में कोई शक्ति निहित नहीं होनी चाहिए, चाहे वह कितना भी उच्च और महान हो और चाहे वह कितना भी ईमानदार और अच्छा हो [2018] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अर्थ। हम सभी अपनी पसंद-नापसंद, अपनी पूर्वधारणाओं और पूर्वाग्रहों के साथ मनुष्य हैं और हमारा मन इतना व्यापक नहीं है कि एक समय में किसी प्रश्न के सभी पहलुओं को लेने में सक्षम हो और इसके अलावा कभी-कभी,

जिस जानकारी पर हम अपने निर्णयों को आधारित करते हैं, वह गलत या अपर्याप्त हो सकती है और हमारा निर्णय कभी-कभी बाहरी या अप्रासंगिक विचारों से प्रभावित भी हो सकता है। यह भी देखा जा सकता है कि हमारे पूर्वाग्रह या पूर्वधारणा को सही ठहराने के लिए कारण खोजना मुश्किल नहीं है।

झुकाव हमें ऐसा करने के लिए प्रेरित करता है। यही कारण है कि हम सोचते हैं कि किसी भी महत्वपूर्ण या संवेदनशील क्षेत्र में किसी एक व्यक्ति को सत्ता सौंपना मूर्खतापूर्ण है, चाहे वह पद कितना भी उच्च या महत्वपूर्ण क्यों न हो। प्रत्येक शक्ति के प्रयोग में नियंत्रण होना चाहिए, विशेष रूप से जब

यह महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण नियुक्तियां करने की शक्ति है और इसका उपयोग किसी एक व्यक्ति में निहित होने के बजाय कई हाथों से किया जाना चाहिए। शायद यही कारण है कि संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 124 के खंड (2) में यह आवश्यकता पेश की कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों में से एक या अधिक न्यायाधीशों को

लेकिन इस प्रावधान के बावजूद, हमें नहीं लगता कि सुरक्षा पर्याप्त है क्योंकि यह केंद्र सरकार पर छोड़ दिया गया है कि परामर्श के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के किसी एक या अधिक न्यायाधीशों का चयन करें। बल्कि हम सुझाव देंगे कि नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिश करने के लिए एक कॉलेजियम होना चाहिए।

उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। सिफारिश करने वाला प्राधिकरण अधिक व्यापक होना चाहिए और व्यापक हितों के साथ परामर्श होना चाहिए। यदि कॉलेजियम ऐसे व्यक्तियों से बना है जिनसे उन व्यक्तियों के बारे में जानकारी होने की उम्मीद की जाती है जो पीठ में नियुक्ति के लिए उपयुक्त हो सकते हैं और नियुक्ति के लिए आवश्यक गुणों के बारे में और यह अंतिम आवश्यकता बिल्कुल आवश्यक है, तो यह सही प्रकार के न्यायाधीशों को सुरक्षित करने की दिशा में एक लंबा रास्ता तय करेगा, जो वास्तव में उस अर्थ में स्वतंत्र होंगे जो हमने ऊपर संकेत दिया है और जो न्यायिक प्रक्रिया को वंचितों और वंचितों के लिए महत्व और अर्थ के साथ निवेश करेंगे।

मानवता के शोषित वर्गों।

एन. टी. आई. भूषण बनाम भारत का सर्वोच्च न्यायालय टीएचआर। यह रजिस्टर है और एक और [अशोक भूषण, जे।]

23. दूसरे न्यायाधीशों के मामले में, अर्थात रिकॉर्ड एसोसिएशन पर अधिवक्ता

(ऊपर), न्यायमूर्ति जे. एस. वर्मा ने पैराग्राफ 427 और 478 में बहुमत के लिए बोलते हुए कहाः

..... इसमें एक और जाँच

" 427 .

सीमित क्षेत्र प्रदान किया जाता है

एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि एक निकाय के लिए विवेकाधीन प्राधिकरण पुरुषों को पूर्ण निर्णय लेने के बाद अंतिम निर्णय लेने की आवश्यकता होती है

सभी संभावित दृष्टिकोण और खरीद का प्रक्षेपण सुनिश्चित करें लाभ के साथ अंतिम निर्णय में बहुलता का तत्व

प्रक्रिया में शामिल सभी लोगों के सामूहिक ज्ञान का। इस विवेकाधीन अधिकार को उच्चतम स्तर पर प्रदान करना

कार्यकर्ता उसी दिशा में एक और जाँच है। द.

संवैधानिक योजना पूर्ण शक्ति के दायरे को बाहर करती है।

किसी भी व्यक्ति में। प्रावधानों का ऐसा निर्माण

इसलिए यह भी संवैधानिक योजना से मेल खाता है और

संवैधानिक उद्देश्य जिसके लिए ये प्रावधान थे अधिनियमित किया।

478. इस राय को व्यावहारिक तरीके से तैयार करना होगा। और परंपरा पर आधारित पिछला अभ्यास एक सुरक्षित मार्गदर्शक है। में।

उच्चतम न्यायालय में नियुक्तियों से संबंधित मामले,

परामर्श में भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दी गई राय

के विचारों को ध्यान में रखते हुए प्रक्रिया का गठन किया जाना चाहिए

उच्चतम न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश

भारत सरकार से भी वरिष्ठ अधिकारियों के विचारों का पता लगाने की उम्मीद है

उच्चतम न्यायालय के अधिकांश न्यायाधीश जिनकी राय होने की संभावना है उम्मीदवार की उपयुक्तता का निर्णय लेने में महत्वपूर्ण होना,

इस तथ्य के कारण कि वह उसी उच्च से आया है

अदालत, या अन्यथा। अनुच्छेद 124 (2) एक संकेत है कि के कुछ अन्य न्यायाधीशों के विचारों का निर्धारण

उच्चतम न्यायालय की आवश्यकता है। अनुच्छेद का अंतर्निहित उद्देश्य

124 (2) भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इस तरह से प्राप्त किया जाता है

अपनी राय बनाने के लिए उनसे परामर्श करता है। यह प्रावधान

अनुच्छेद 124 (2) में मौजूदा समझौते का आधार है जो भारत के मुख्य न्यायाधीश को कुछ न्यायाधीशों से परामर्श करने की आवश्यकता है

यह सुनिश्चित करता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय नहीं है केवल उनकी व्यक्तिगत राय, लेकिन एक राय बनाई गई

न्यायपालिका में शीर्ष स्तर पर पुरुषों के एक निकाय द्वारा सामूहिक रूप से।

XXXXXXXXXX "[2018] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

24. तीसरे न्यायाधीशों के मामले में, 1998 का विशेष संदर्भ संख्या 1,

(1998) 7 एस. सी. सी. 739, निर्माण को मंजूरी देते हुए जैसा कि इस न्यायालय द्वारा द्वितीय न्यायाधीशों के मामले में रखा गया था, न्यायमूर्ति एस. पी. भरुचा ने, जैसा कि वे तब थे, पैरा 160 में निर्णय दिया कि कॉलेजियम में भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के चार सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होने चाहिए। पैरा 44 में निम्नलिखित उत्तर दर्ज किए गए थेः

" 44. संदर्भ द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर अब दिया जाता है,

लेकिन हमें इस बात पर जोर देना चाहिए कि जवाबों को पढ़ा जाना चाहिए।

इस राय के मुख्य भाग के साथ संयोजनः

1. अभिव्यक्ति "के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श

भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 (1) और 222 (1) में भारत में न्यायाधीशों की बहुलता के साथ परामर्श की आवश्यकता है

भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय का गठन। द.

भारत के मुख्य न्यायाधीश की एकमात्र व्यक्तिगत राय नहीं है

उक्त के अर्थ के भीतर "परामर्श" का गठन करें लेख।

XXXXXXXXXXXXX

3. भारत के मुख्य न्यायाधीश को एक सिफारिश करनी चाहिए -

उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश की नियुक्ति करना और एक प्रमुख का स्थानांतरण करना

के परामर्श से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या कनिष्ठ न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठतम कनिष्ठ न्यायाधीश।

जहाँ तक उच्च न्यायालय में नियुक्ति का संबंध है, सिफारिश के साथ परामर्श किया जाना चाहिए

उच्चतम न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीश।

4. भारत के मुख्य न्यायाधीश को केवल अपने मामले में कार्य करने का अधिकार नहीं है।

गैर-नियुक्ति के लिए भारत सरकार द्वारा प्रेषित नियुक्ति के लिए अनुशंसित न्यायाधीश।

" "

25. अनुच्छेद 124 में "मुख्य न्यायाधीश" शब्द को कॉलेजियम के रूप में पढ़ा गया था।

दूसरे और तीसरे न्यायाधीशों के मामले में संवैधानिक योजना और संवैधानिक उद्देश्य को देखते हुए जैसा कि उपरोक्त प्रावधान द्वारा माना जाता है। अनुच्छेद 124 (2) राष्ट्रपति द्वारा परामर्श के संवैधानिक प्रावधान को व्यक्त करता है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों में, जिन्हें राष्ट्रपति आवश्यक समझे।

शांति भूषण बनाम। भारत का सर्वोच्च न्यायालय टीएचआर। यह रजिस्टर है और एक और [अशोक भूषण, जे।]

26. इस परंतुक में मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श की विशिष्ट आवश्यकता है। अनुच्छेद 124 इस प्रकार दो आवश्यक अवयवों का खुलासा करता है। परामर्श के संबंध में, अर्थात (i) मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश से हमेशा परामर्श किया जाएगा। (ii) राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों के साथ परामर्श करने के बाद नियुक्ति करेगा जिन्हें राष्ट्रपति आवश्यक समझे। भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श के अलावा, अन्य न्यायाधीशों के साथ परामर्श विशेष रूप से किया गया था

संवैधानिक योजना का हिस्सा बना। यह न्यायालय दूसरे न्यायाधीशों में

उपरोक्त संवैधानिक योजना पर ध्यान देते हुए मामले और तीसरे न्यायाधीशों के मामले में "मुख्य न्यायाधीश" शब्द को कॉलेजियम के रूप में पढ़ा गया है। इसका कारण यह है कि

अनुच्छेद 124 में "मुख्य न्यायाधीश" शब्द को कॉलेजियम के रूप में पढ़ने का संवैधानिक आधार है जैसा कि दूसरे न्यायाधीशों के मामले और तीसरे न्यायाधीशों में विस्तार से बताया गया है।

मामला।

27. उच्चतम न्यायालय की प्रक्रिया और व्यवहार के संबंध में, अनुच्छेद 145 सर्वोच्च न्यायालय को निम्नलिखित के अनुमोदन के साथ नियम बनाने का अधिकार देता है -

राष्ट्रपति। रोस्टर तैयार करने और मामलों के आवंटन से संबंधित अभ्यास और प्रक्रिया को शामिल करने के लिए न्यायालय का शब्द अभ्यास और प्रक्रिया काफी व्यापक है। अनुच्छेद 145 के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा बनाए गए नियम विशेष रूप से अध्याय VI में मुख्य न्यायाधीश को संदर्भित करते हैं, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, मुख्य न्यायाधीश, जिन्हें प्रत्येक मामले, अपील या मामले की सुनवाई के लिए पीठ को नामित करना है। इसके तहत बनाए गए किसी भी संवैधानिक प्रावधान या नियम में ऐसा कोई संकेत नहीं है कि मामलों के आवंटन के लिए और पीठों का गठन, मुख्य न्यायाधीश को कॉलेजियम के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश को कॉलेजियम के रूप में पढ़ने के लिए, अनुच्छेद 124 के तहत, एक संवैधानिक आधार था जैसा कि ऊपर देखा गया है। इस न्यायालय ने कई मौकों पर यह अभिनिर्धारित करने के लिए कारण भी देखे और व्यक्त किए कि मामलों को आवंटित करना और पीठ को नामित करना मुख्य न्यायाधीश का एकमात्र विशेषाधिकार है। उत्तर प्रदेश राज्य में यह न्यायालय और अन्य बनाम नीरज चौबे

और अन्य (ऊपर) ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं:

..... यदि न्यायाधीश अपना चयन करने के लिए स्वतंत्र थे

" 9 .

उन्हें कुछ भी करने के लिए अधिकार क्षेत्र या कोई विकल्प दिया गया था

मामले में वे सुनना और निर्णय लेना पसंद कर सकते हैं, की मशीनरी

न्यायालय ध्वस्त हो जाएगा और न्यायालय का न्यायिक कार्य समाप्त हो जाएगा

लालसा के कारण आंतरिक कलह को पीढ़ी दर पीढ़ी रोकें

किसी विशेष क्षेत्राधिकार या किसी विशेष क्षेत्राधिकार के लिए

मामला।

28. विद्वान महान्यायवादी का निवेदन है कि मामलों का आवंटन और पीठों का गठन, यदि इसे कई हाथों में दिया जाता है, तो काम के सुचारू वितरण में मतभेद और बाधाएं होंगी। हम विद्वान महान्यायवादी के उपरोक्त निवेदन से पूरी तरह सहमत हैं। इस प्रकार हम याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील की इस दलील को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि मामलों को आवंटित करने और सर्वोच्च न्यायालय की पीठों को तैयार करने में, "मुख्य न्यायाधीश" शब्द को कॉलेजियम के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, जो निवेदन निराधार है और खारिज कर दिया जाता है।

29. श्री दवे द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि संविधान में मुख्य न्यायाधीश को व्यक्तिगत रूप से किसी भी शक्ति का प्रयोग करना था।

विशेष रूप से शामिल किया गया है। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 130 का उल्लेख किया है जो प्रदान करता हैः

" 130. उच्चतम न्यायालय की सीट। - उच्चतम न्यायालय दिल्ली में या ऐसे अन्य स्थान या स्थानों पर बैठेगा, जहां भारत का मुख्य न्यायाधीश समय-समय पर राष्ट्रपति के अनुमोदन से कार्य करेगा।

समय, नियुक्त करें।

उन्होंने आगे अनुच्छेद 146 का उल्लेख किया है जिसमें प्रावधान किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्तियां भारत के मुख्य न्यायाधीश या न्यायालय के ऐसे अन्य न्यायाधीश या अधिकारी द्वारा जो वह निर्देश दे। उन्होंने अनुच्छेद 146 के उपखंड (2) का उल्लेख किया है, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश या भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा अधिकृत न्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश या अधिकारी को राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधान के अधीन सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की सेवा की शर्तों के संबंध में नियम बनाने का अधिकार देता है।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि संविधान के उपरोक्त प्रावधानों में मुख्य न्यायाधीश को विशेष शक्तियों का प्रयोग करने का प्रावधान है।

30. निवेदन कि संविधान विशेष रूप से उल्लेख नहीं करता है

मुख्य न्यायाधीश मामलों के आवंटन और संविधान की शक्ति का प्रयोग करेंगे

इसलिए, मुख्य न्यायाधीश को ऐसा करने का अधिकार नहीं है, यह एक वैध निवेदन नहीं है। संवैधानिक योजना के तहत ही

अनुच्छेद 145 में निहित, सर्वोच्च न्यायालय की प्रथा और प्रक्रिया

अपील करें। संविधान में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं होना मामले आवंटित करने के लिए रोस्टर तैयार करने के लिए मुख्य न्यायाधीश को सशक्त बनाना शांति भूषण बनाम है।

भारत का सर्वोच्च न्यायालय टीएचआर। यह रजिस्टर है और एक और [अशोक भूषण, जे।]

असंगत क्योंकि पूरा विषय अनुच्छेद 145 के तहत बनाए गए नियमों द्वारा कवर किया जाना था।

32. इस मामले में उठाई गई दलीलों पर विचार करते हुए, हमें उत्तरी क्षेत्र में श्री जस्टिस होम्स के भविष्यसूचक शब्दों की याद दिलाई जाती है। प्रतिभूति कं. वी. संयुक्त राज्य अमेरिका, 48 वकीलों का संस्करण यू. एस. 196 (1903)। होम्स, जे ने कहाः

" बड़े मामले, जैसे कठिन मामले, खराब कानून बनाते हैं। महान मामलों के लिए

इन्हें महान कहा जाता है, न कि भविष्य के कानून को आकार देने में उनके वास्तविक महत्व के कारण, बल्कि तत्काल भारी रुचि की किसी दुर्घटना के कारण जो भावनाओं को आकर्षित करती है और निर्णय को विकृत करती है। ये तात्कालिक हित एक प्रकार के हाइड्रोलिक दबाव का प्रयोग करते हैं जिससे जो पहले स्पष्ट था वह संदिग्ध लगता है, और जिसके पहले भी

कानून के अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत झुकेंगे।

33. जैसा कि ऊपर व्यक्त किया गया है, हमारे विचार न्यायिक अभियान में इस न्यायालय के हाल के संविधान पीठ के फैसले से मजबूत हुए हैं।

उत्तरदायित्व और सुधार v. भारत संघ और ए. एन. आर. , (2018) 1 एस. सी. सी. 196 और इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ ने 2018 की रिट याचिका (सी) संख्या 147, अशोक पी. वी. में 11.04.2018 का फैसला सुनाया। और भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपने पंजीयक और अन्य के माध्यम से। , (2018) 5 एस. सी. सी. पैमाना 481।

34. श्री दवे ने एक वैकल्पिक निवेदन भी दिया; कि मामलों का आवंटन और पीठों का गठन समग्र रूप से किया जाना चाहिए।

अदालत। उन्होंने कहा कि सभी न्यायाधीश एक साथ बैठ सकते हैं और पीठों के गठन की प्रक्रिया तैयार कर सकते हैं। अनुच्छेद 145 के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा बनाए गए नियम न्यायालय द्वारा बनाए गए नियम हैं और जब न्यायालय द्वारा बनाए गए नियम विशेष रूप से मुख्य न्यायाधीश को किसी कारण या अपील या मामले की सुनवाई के लिए पीठों को नामित करने का अधिकार देते हैं, जो पारंपरिक रूप से मुख्य न्यायाधीश का विशेषाधिकार रहा है। यह निवेदन कि पूर्ण न्यायालय को मामलों का आवंटन करना चाहिए और पीठों का गठन करना चाहिए, अनुच्छेद 145 के तहत बनाए गए नियमों के साथ पठित संवैधानिक योजना के विपरीत है। इस प्रकार, हम श्री दवे के इस कथन से प्रभावित नहीं हैं कि रोस्टर पूरे न्यायालय द्वारा तैयार किया जाना चाहिए।

35. जहाँ तक श्री दवे द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि मामलों के आवंटन और सूचीकरण में सर्वोच्च न्यायालय के नियम, 2013 का पालन किया जाना है, उपरोक्त प्रस्तुतिकरण में कोई अपवाद नहीं लिया जा सकता है। जब वैधानिक नियम बनाए जाते हैं तो न्यायालय का पूरा कार्य जो नियमों के दायरे में आता है, उसी के अनुसार निपटना पड़ता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

36. इस न्यायालय द्वारा बड़ी संख्या में मामलों में निपटाया गया कानून, जैसा कि ऊपर देखा गया है, साथ ही साथ तीन न्यायाधीशों की पीठ और संविधान के निर्णय।

ऊपर उल्लिखित पीठें हम पर बाध्यकारी हैं और तय किए गए कानून को उस आधार पर अस्थिर नहीं किया जा सकता है जिस आधार पर पूरी रिट याचिका स्थापित की गई है। 37. श्री दवे ने अपनी प्रस्तुति के दौरान "अभ्यास और प्रक्रिया और कार्यालय प्रक्रिया (2017)" पर पुस्तिका का भी उल्लेख किया है। यह पुस्तिका रजिस्ट्री के मार्गदर्शन के लिए अभ्यास और प्रक्रिया और कार्यालय प्रक्रिया का एक संकलन है। उन्होंने अध्याय V-पंजीयक की शक्तियाँ, कर्तव्य और कार्य, अध्याय VI-सूची, अध्याय XIII-मामलों की सूची का उल्लेख किया है। उपरोक्त पुस्तिका न्यायालय के व्यवसाय के सुचारू लेन-देन के लिए एक लिखित मार्गदर्शिका है। विभिन्न अध्यायों में उल्लिखित विभिन्न निर्देशों में न्यायालय के संचालन और कार्य के लिए निश्चित रूप से व्यवस्थित तरीके से प्रावधान किया गया है, इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता है कि जब न्यायालय के अधिकारियों द्वारा किसी प्रक्रिया का पालन करने के लिए निर्धारित किया जाता है।

उच्चतम न्यायालय, सभी कार्यों का लेन-देन उक्त तरीके से किया जाना है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, इस मामले के प्रयोजनों के लिए, हमें कुछ मामलों को सूचीबद्ध करने की आवश्यकता नहीं है जैसा कि रिट याचिका में उल्लिखित है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता रिट याचिका में निर्दिष्ट किसी भी आदेश या निर्णय पर सवाल नहीं उठा रहा है। रिट याचिकाकर्ता का प्रयास मामलों के उचित और निष्पक्ष वितरण और पीठों के गठन के लिए एक उपयुक्त प्रक्रिया का पता लगाना है।

संवैधानिक और वैधानिक समर्थन और परंपरा द्वारा इसे इस रूप में माना जाता है मुख्य न्यायाधीश का विशेषाधिकार। इस प्रकार, हम इस न्यायालय की संवैधानिक और वैधानिक योजना में अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं को आयात नहीं कर सकते हैं।

शांति भूषण बनाम। भारत का सर्वोच्च न्यायालय टीएचआर। यह रजिस्टर है और एक और [अशोक भूषण, जे।]

39. विद्वान सलाहकार द्वारा बहुत जोर दिया जाता है

याचिकाकर्ता ने कहा कि मामलों के आवंटन और पीठों के निर्माण की प्रक्रिया और तरीका ऐसा होना चाहिए जो जनता के लिए सुलभ हो और मुख्य न्यायाधीश द्वारा शक्ति के प्रयोग के लिए वस्तुनिष्ठ मानदंड होने चाहिए। किसी भी प्रकार की गलतफहमी को दूर करने और आम जनता में विश्वास पैदा करने के लिए शक्ति का प्रयोग करने के तरीके और प्रक्रिया को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। हम ऊपर पहले ही देख चुके हैं कि न्यायालय के कार्य के लेन-देन के तरीके और प्रक्रिया को सर्वोच्च न्यायालय के नियम, 2013 के साथ विस्तृत रूप से निपटाया गया है।

40. इसके अलावा, अभ्यास और प्रक्रिया और कार्यालय पर पुस्तिका

प्रक्रिया ने पर्याप्त दिशा-निर्देश और विस्तार भी निर्धारित किया

प्रक्रिया जिसका इस न्यायालय में पालन किया जाना है। इस प्रकार, न्यायालय के कार्य के लेन-देन के लिए, विस्तृत नियम और प्रक्रिया हैं और यह नहीं कहा जा सकता है कि न्यायालय की प्रक्रिया और व्यवहार दिशाहीन और बिना किसी मानदंड के है।

41. हालाँकि, हम इस तथ्य से अनजान नहीं हैं कि

कोई भी प्रणाली एक निरंतर प्रक्रिया है और प्रत्येक संगठन परिस्थितियों और आवश्यकता के अनुकूल अपनी प्रणाली के कामकाज में सुधार करने का प्रयास करता है। कार्यप्रणाली में सुधार हमेशा प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य होता है। प्रणाली और सभी संगठन प्रणाली में सुधार करने का प्रयास करते हैं, जो हमेशा एक स्वागत योग्य कदम है। सर्वोच्च न्यायालय उपरोक्त उद्देश्य और लक्ष्य के लिए अपवाद नहीं हो सकता है।

42. बंद करने से पहले, हम खुद को याद दिलाते हैं कि हम क्या करते हैं

न्यायाधीशों के मामले में जे. वेंकटरमैया के शब्दः

" 1268 ..... हमें एहसास दिलाया जाता है कि हम सभी नश्वर हैं

सभी मानवीय कमजोरियों के साथ और केवल कुछ ही लोग इसमें जानते हैं मिशेल डी के निम्नलिखित कथन के पीछे की सच्चाई

मोंटेगनः " क्या मैं इसके लिए सीधे रास्ते पर नहीं चलता था?

सीधापन, मुझे अनुभव द्वारा पाए जाने के लिए इसका पालन करना चाहिए कि अंत में यह आम तौर पर सबसे खुश और सबसे उपयोगी होता है

ट्रैक "।

लेकिन अगर न्यायपालिका को वास्तव में होना चाहिए

स्वतंत्र रूप से कुछ और आवश्यक है और हमारे पास है

स्वयं न्यायाधीश को ढूँढना, न कि बाहर। एक न्यायाधीश को करना चाहिए स्वयं से स्वतंत्र रहें। न्यायाधीश एक मनुष्य होता है जो

जुनून और पूर्वाग्रहों, पसंद और नापसंद का एक बंडल,

स्नेह और दुर्भावना, घृणा और तिरस्कार और भय और

लापरवाही। एक सफल न्यायाधीश बनने के लिए इन तत्वों [2018] 12

इसे नियंत्रित किया जाना चाहिए और संयम में रखा जाना चाहिए और यह केवल शिक्षा, प्रशिक्षण, निरंतर अभ्यास और विनम्रता और कर्तव्य के प्रति समर्पण की भावना से ही संभव है। ये इसे न तो बाजार में खरीदा जा सकता है और न ही लिखित या अलिखित कानूनों द्वारा प्रणाली में डाला जा सकता है। यदि ये वहां कम हैं, भले ही संविधान और कानूनों द्वारा प्रदान किए गए किसी भी सुरक्षात्मक उपाय से जुलाई की स्वतंत्रता चली जाती है।

कष्ट नहीं होगा। लेकिन इन सभी उपायों के होने के कारण न्यायाधीश स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं। यह आंतरिक शक्ति है

केवल न्यायाधीश ही न्यायपालिका को बचा सकते हैं। एक व्यक्ति के जीवन में वास्तव में आत्म-त्याग के महान कार्यों की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन आत्म-अस्वीकार के छोटे-छोटे कार्यों पर जोर दिया जाता है, लगभग प्रत्येक श्लोक पुरुषों के वास्तविक लक्षणों की व्याख्या करता है जिनके साथ सभी न्यायाधीशों को होना चाहिए:

आप जो चाहते हैं, आप जो चाहते हैं, आप जो चाहते हैं, आप वही करते हैं।

लक्ष्मीः समयवास्तु गच्छतु वा यथास्थान तम।

न्यायव वा मरियमस तु युगान्ट्रे वा

्नियत पथः प्रारंभिक निट पदन धीराः

[नैतिकता या नैतिकता में प्रशिक्षित पुरुषों को अपमान या प्रशंसा करने दें, लक्ष्मी (धन) को अपनी इच्छानुसार जमा या गायब होने दें, मृत्यु आज ही या युग के अंत में आने दें।

(सहस्राब्दी), विवेक वाले पुरुष इससे विचलित नहीं होंगे

सटीकता का मार्ग।) "

43. रिट याचिका का निपटारा टिप्पणियों के साथ किया जाता है a

ई.

लेखन याचिका निपटान

ग्यान